अरावली का सिंहनाद

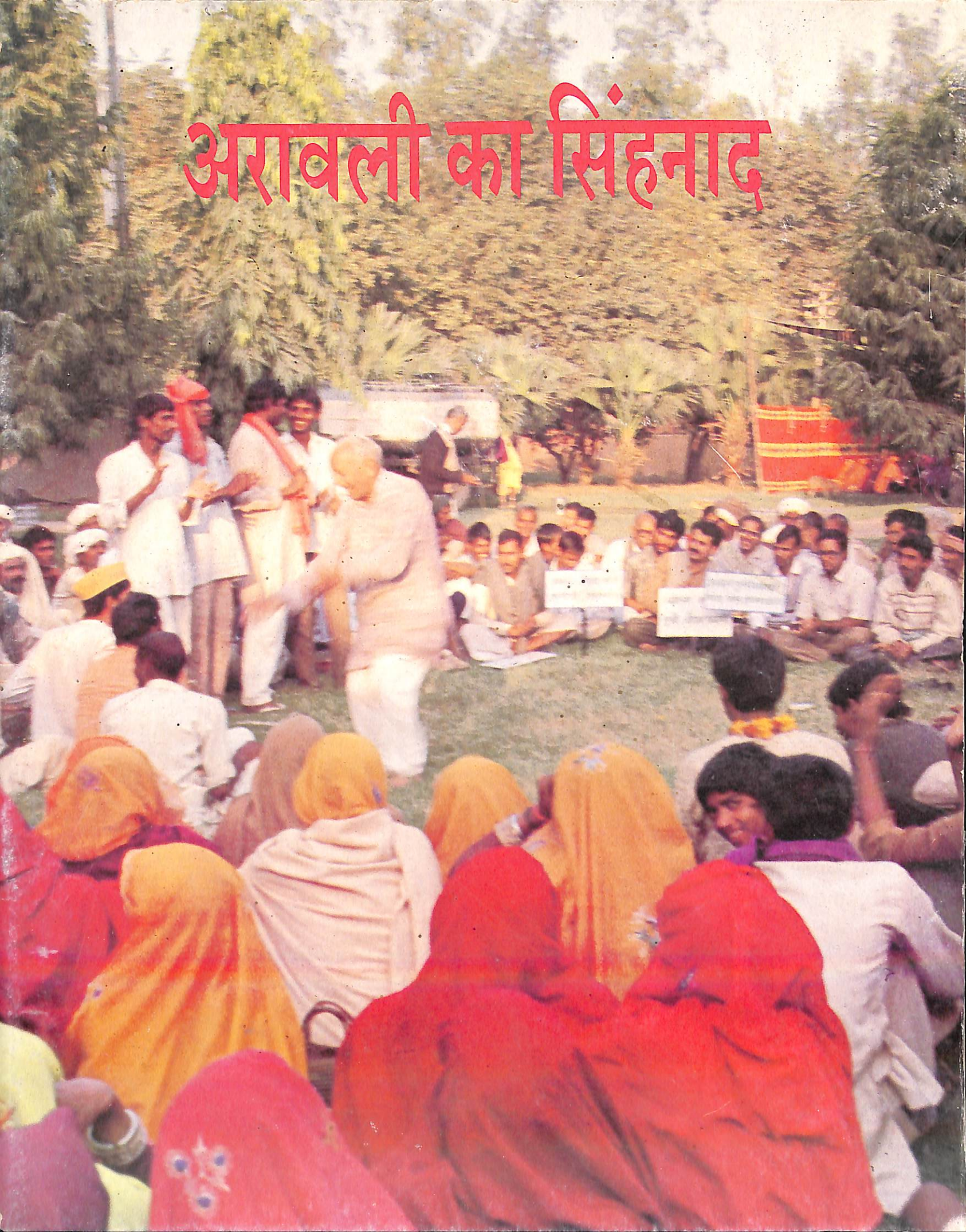

अरावली के जंगलों से चली चेतना यात्रा द्वारा शहरी चेतना जगाने की कोशिश

प्रस्तावना

पिछले 23 वर्षों से तरुण भारत संघ अरावली के नंगेपन एवं बिगड़ते स्वरूप से दुःखी-चिन्तित है। पहले तो जगह-जगह शिविर-सम्मेलन करके अरावली की पारिस्थितिकी सुधार हेतु वृक्षारोपण, भू-संरक्षण व जंगल-संरक्षण के लिए युवाओं को तैयार करने का काम करता रहा। 1982 में जमुवारामगढ़ के सानकोटढ़ा में खनन के लिए कटते जंगलों को देखा था। वहाँ इस बरबादी को रोकने हेतु भावनी, कालीखोर, थली, बोरोदा, नीमला, श्रीनगर, डिगोता आदि गाँवों में बहुत से शिविर युवाओं के साथ आयोजित किये थे।

1985 में अलवर जिले के थानागाजी, भीकमपुरा, किशोरी, सूरतगढ़, माण्डलवास, भांवता, देवरी, राडा आदि गांवों में जल-जंगल-जमीन संरक्षण का सृजनात्मक कार्य शुरू किया। 1987-88 में राजगढ़ तहसील के तिलवाड़ी, तिलवाड़, गोवर्धनपुरा, मल्लाना तथा पालपुर गांव में खनन कार्यों में लगे मजदूरों के साथ रहकर काम करने का अवसर मिला।

पहले तो हम यह मानते थे कि खनन से केवल पर्यावरण का मामूली सा नुकसान होता होगा, लेकिन गरीब लोगों को रोजगार देता है, राष्ट्र विकास के लिए पूँजी निर्माण करता है। इसलिए खनन जरूरी काम है, लेकिन खनन में लगे परिवारों में रहने से उनके जीवन के कष्टों को समझने से हमारा विचार बदला।

हमने देखा खनन में लगे मजदूर तो मालिक थे, अब ये मजदूर बन गये हैं। मजदूर भी भरपेट खाने वाले नहीं बल्कि भूखे पेट काम करने से कुपोषण का शिकार होकर 35-40 वर्ष की उम्र में ही अपने जीवन को समाप्त करने वाले बन गये हैं। जिन क्षेत्रों में खनन चल रहा है, वहाँ का परिवेश तथा पर्यावरण दोनों ही बिगड़ गये हैं। बिगड़ते-बिगड़ते ऐसे हालात में पहुँच गये हैं, जहाँ से वापस लौटना मुश्किल है, बिगड़े हालात को सुधारना मुश्किल है। यह सब आगे भी ऐसे ही बिना सोचे-समझे धाय-धुपं इसी प्रकार चला तो सब कुछ नष्ट हो जायेगा।

1988-89 में इस सब पर विचार हेतु **नीलकण्ठ** में एक शिविर आयोजित किया। गाँव में अखण्ड रामायण पाठ आयोजित करके जंगलात विभाग के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश किया। विभाग एक तरफ जंगल की जमीन पर खनन कराने हेतु पेड़ काटने तथा खनन पट्टों के लिए स्वीकृति दे रहा था, दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले लोगों को जंगल से बाहर निकालने के लिए कार्यवाही कर रहा था। इस सब पर सरिस्का वन क्षेत्र में बसे 22 गाँवों तथा इसके **बफर** तथा **पैरीफैरी** क्षेत्र में बसे 165 गाँवों के साथ खुलकर लम्बी चर्चा हुई। लोगों ने जब इस सब पर सवाल खड़े किये तो विभाग ने 377 ग्रामीण व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी।

ग्रामीणों तथा विभाग में हुई दूरी बढ़ने लगी। इसे कम करने के लिए गांव-गांव में रामायण पाठ आयोजित हुए, इनमें विभाग के वनकर्मी तथा ग्रामीण दोनों ने समान रूप से शिरकत की, आपस में बातचीत हुई तो अपने आपसी बैर-भाव भुलाकर दोषी व्यवस्था को ठीक करने का संकल्प लिया गया। इस संकल्प को साकार करने हेतु 14 जनवरी से 21 जनवरी 1990 तक भर्तृहरि में जंगल में संरक्षण यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ में पहाड़ों तथा जंगल की रक्षा हेतु जंगल क्षेत्रों में चल रहे खनन को बन्द कराने का संकल्प हुआ।

साथ ही साथ खनन क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के विषय में भी गम्भीरता से विचार किया गया। मजदूरों का संगठन बनाना उनका स्वास्थ्य परीक्षण आदि का काम शुरू हुआ। खान मालिकों ने इस प्रयास को निष्फल करने के सभी प्रयास किये। तरुण भारत संघ के महामंत्री, कार्यकर्ताओं की हत्या तक के प्रयास किये। लेकिन मजदूर दिखाने के लिए खान मालिकों के साथ थे, मन से तरुण भारत संघ का साथ दे रहे थे। इसीलिए खान मालिकों का कोई दुष्प्रयास सफल नहीं हुआ।

मजदूरों ने ही **मल्लाणा** गांव में तथा आस-पास में जो वनभूमि पर खनन चल रहा था, उसे बन्द कराने हेतु 'सत्याग्रह' किया था। **पालपुर** में भी लोगों ने सड़क रोककर खनन बन्द किया था। इससे तरुण भारत संघ का उत्साह बढ़ा। खनन बन्द होने पर विकल्प रोजगार के लिए वृक्षारोपण हेतु वन विभाग पर दबाव बनाकर क्लोजर बनवाने का काम किया था। साथ ही साथ जोहड़ व चैक डैम, खेत सुधार का काम शुरू किया।

खनन के कारण बिगड़े खेतों में भी चैक डैम, एनिकट, बांध-जोहड़ आदि का निर्माण कार्य किया। यहाँ के सफल प्रयोग ने यहाँ के समाज के मन में एक उत्साह पैदा किया। अरावली क्षेत्र में चल रही पत्थरों की लूट-खसोट से जो अरावली पर्वत- मालायें निर्वस्त्र हो गई थीं, रोने लगी थीं। **अरावली के आंसू** पुस्तक इसी कहानी को प्रकट करती है। इस पुस्तक का सम्पादन श्री रमेश थानवी जी ने किया है। मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। इनको धन्यवाद देकर गौरव अनुभव कर रहा हूँ। अरावली के आंसू पोंछने के लिए सरिस्का क्षेत्र के लोगों ने अरावली के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने हेतु पूरी अरावली में चेतना पदयात्रा आयोजित की थी। इस यात्रा की कहानी श्री रामजन्म चतुर्वेदी जी ने लिखी है इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा इनका आभारी हूँ। सम्पादन श्री रमेश थानवी जी ने किया है। इस यात्रा को श्री थानवी ने अरावली का सिंहनाद कहा है।

अत: अपने समाज को केवल अरावली के आंसू दिखाकर चिन्तित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि **'अरावली का सिंहनाद'** से आशा जागृत करना चाहता हूँ। अब जगह-जगह सरकारी तथा गैर सरकारी तौर पर अरावली में पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू तो हुई है, लेकिन इसकी गति धीमी है। इसे तेज करने के लिए अरावली का पारिस्थितिकी अध्ययन होना जरूरी लगता है। इस अध्ययन को अरावली की समस्त संस्थायें जुड़कर करें तो अच्छा होगा। इस कार्य में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की राज्य सरकारें तथा भारत सरकार मिलकर करें तो अच्छा होगा। अन्यथा अरावली की जनता, जन संगठन व स्वैच्छिक संस्थाओं को मिलकर अगुवाई करनी चाहिए। इस कार्य में हमें ढील नहीं करनी चाहिए। हम जितनी ढील करेंगे उतने ही अरावली के आंसू बढ़ते जायेंगे। छोटे-छोटे 'सिंहनाद' प्रभावहीन बन कर रह जायेंगे।

अरावली पारिस्थितिकी अध्ययन को मैं **अरावली सिंहनाद** से निकलने वाली दिशा के रूप में देखता हूँ। जिस प्रकार जंगल में बाघ की दहाड़ से जंगल में पैदा होने वाले दुष्यप्रभावी जन्तु समाप्त होते हैं, कारगर जन्तुओं को काम (भागदौड़) का अवसर मिलता है, उसी प्रकार हम सब, सरकार, जनता, स्वैच्छिक संस्थाओं को अरावली संरक्षण में लगना ही पड़ेगा।

हम **अरावली के आंसू** के साथ **अरावली सिंहनाद** तथा **पुनर्जनन प्रक्रिया** प्रकाशित कर रहे हैं।

अरावली क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा किये गये पारिस्थितिकी पुनर्वास तथा समाज व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे संरक्षण, संवर्द्धन कार्यों पर आपसी संवाद भी किया है। इस कार्य में राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक, **श्री डी. पी. गोविल** ने सहयोग किया है। **श्री पी. के. मरकप** निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने भी सहयोग करने की पेशकश की है। हम राजस्थान सरकार के वन विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, जो कि अरावली की अस्मिता बचाने हेतु मोटे तौर पर प्रतिबद्ध दिखाई देता है। आशा है हम सब मिलकर भविष्य में अरावली के आसूं पोंछने के लिए अरावली की हरियाली का काम तेज करेंगे।

– राजेन्द्रसिंह,

महामंत्री, तरुण भारत संघ

1
अध्याय

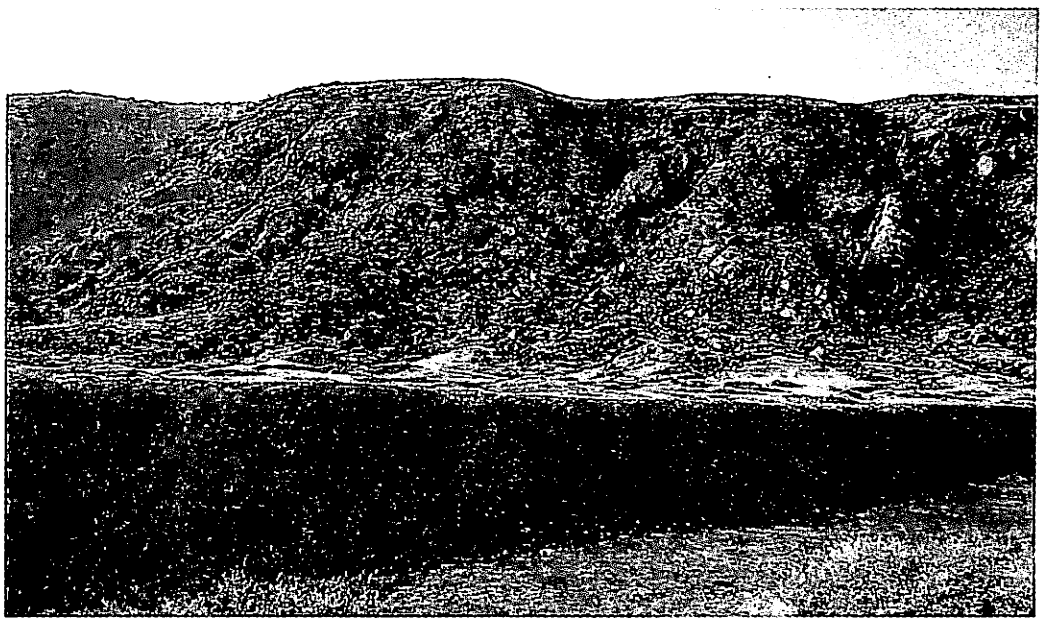

किससे कहूँ, मुझे सबने उजाड़ा !

राजस्थान की जीवन-रेखा अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। एक जमाना था जब अरावली कच्छ के रन से लेकर तिब्बत के पश्चिमी भाग से होते हुए चीन, तुर्किस्तान तक विस्तृत था। अपने यौवन-काल में अरावली लगभग 10 हजार फुट ऊंचा था। तब इसकी चोटियाँ सदा बर्फ से ढकी रहती थीं। उस समय न तो विंध्याचल पर्वत था, न ही हिमालय। हिमालय तो इस वृद्ध-जर्जर अरावली के सामने कल का बच्चा है। अरावली ने इसे घुटनों चलते देखा है।

लेकिन, जैसा कहा गया है, परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। तुलसीदास का कथन सब पर लागू होता है :

धरा को प्रमान यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना।

यह कहावत अरावली पर भी अक्षरश: चरितार्थ होती है। कभी भारत का ही नहीं, विश्व का सिरमौर रहने वाला अरावली भी प्रकृति के प्रकोपों से नहीं बच सका। इस उन्नत पर्वत की चोटियों से बड़े-बड़े ग्लेशियर सरकते रहे। इन ग्लेशियरों ने अरावली के विशाल पत्थर-खंडों को दूर-दूर तक फैलाया। आज जैसलमेर में पाये जाने वाले प्रस्तरखंड इसके प्रमाण हैं। साथ ही, तापमान में घटा-बढ़ी, पवनों, इसी पर्वत से निकलने वाली नदियों, हिम, पाले आदि ने इसके शरीर को जर्जर करना शुरू कर दिया। जो कुछ बचा-खुचा रहा, इसके जंगलों, पहाड़ियों को स्वार्थी लोगों ने साफ कर दिया। परिणाम यह रहा कि आज अरावली एक नग्न पहाड़ी के रूप में रह गया है।

इस अरावली पर्वत का उदय भी एक सागर से हुआ है। आज जहाँ थार का विशाल रेगिस्तान है, वहां कभी एक सागर हिलोरें लेता था। प्रकृति की भू-परिवर्तनकारी शक्तियों ने उस सागर से अरावली को ऊपर उठाना शुरू किया। तब थार का

रेगिस्तान भी धीरे-धीरे जंगलों से आच्छादित होता गया। कालान्तर में ये सभी जंगल अरावली से कट-छंट कर आये मलबे के नीचे दबते गये। समय के साथ थार का रेगिस्तान बढ़ता गया। उस क्षेत्र में खड़े जंगल इन सबके नीचे दबते गये। आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह करोड़ों वर्ष पूर्व की कहानी का आखिरी अध्याय है। उन्हीं जंगलों के जमीन में दब जाने के कारण उनका कार्बनिक अवशेष आज भी जैसलमेर और उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के रूप में धरातल से हजारों फुट की गहराई में दबा पड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं, किसी दिन जब इन क्षेत्रों की गहरी खुदाई हो तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार मिलें। लेकिन आज तो वह सारी सम्पदा अथाह बालुका-राशि के नीचे दबी पड़ी है।

उन दिनों अरावली पर्वत की जो विशाल घाटियाँ थीं, वे आजकल इस पर्वत श्रेणी के स्थान-स्थान पर गैपों के रूप में उभर आई हैं। ये गैप जो किसी जमाने में ग्लेशियरों या हिमनदों के रास्ते थे, आजकल बढ़ते रेगिस्तान के लिए रास्ते बन गये हैं जिनसे होकर थार के रेगिस्तान का पूर्वी हिस्सा प्रतिवर्ष कुछ न कुछ पूरब की ओर सरकता आ रहा है, राजस्थान की उर्वरा भूमि को रेतीला बनाने के काम में जुटा है।

लेकिन यह इतिहास तो आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले का है। उस समय हिमालय भी एक सागर से ऊपर उठ रहा था। कैसी विडम्बना है कि जिस हिमालय को हिमालय बनाने में अरावली ने अपने शरीर के टुकड़े-टुकड़े किये, उसी हिमालय के उत्थान के कारण अरावली और भी जर्जर होता गया। थार क्षेत्र की हरियाली रेगिस्तान में बदलती गई। क्रमशः गंगा-सिंध का उपजाऊ मैदान बनता गया और इधर रेत की भरमार होती गई। कहीं-कहीं रेतीले टीलों ने अरावली की बची-खुची छोटी पहाड़ियों को भी अपने नीचे दबा लिया। कहीं-कहीं इसी अरावली से निकली नदियों और वर्षा के जल ने पथरीली जमीन या चट्टानों को इतना नीचे दबा लिया कि आज उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में नीचे पहाड़ी चट्टानें हैं, तो ऊपर उपजाऊ मिट्टी। लोग मिट्टी खोद-खोदकर पत्थर निकालते हैं। सवाई माधोपुर के समीप इस पर्वत माला की चट्टानें जमीन में इतनी धंस गई हैं कि नदियों की तलेटी में पत्थर ही पत्थर हैं।

आज इस अरावली का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसकी लम्बाई कुल में 692 किलोमीटर रह गई है जो उत्तर-पश्चिम में दिल्ली के समीप महरौली से लेकर राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में गुजरात तक ही सीमित है। राजस्थान में इसकी लम्बाई लगभग 550 किलोमीटर है। दिल्ली से लेकर झुंझुनूं जिले के खेतड़ी कस्बे तक यह कटी-फटी है। कहीं पर्वत हैं, तो कहीं मैदान। खेतड़ी के समीप यह एक स्पष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में उभर कर आती है। सांभरझील के समीप से निकलती हुई अजमेर से आगे यह स्पष्ट रूप से अनेक समानान्तर श्रेणियां बनाती है। यहाँ से आगे इसकी चौड़ाई भी बढ़कर लगभग 50 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद यह डूंगरपुर और उदयपुर की ओर फैलना प्रारम्भ कर देती है। माउण्ट आबू की गुरुशिखर चोटी हिमालय और दक्षिण भारत के नीलगिरि पर्वतों के बीच सबसे ऊँची है। यहाँ इसकी ऊँचाई 1727 मीटर है। यह गुरुशिखर आज भी इतना ऊंचा है कि गर्मियों के दिन में भी आप इस चोटी के नीचे देखिए तो बादल छाये नजर आते हैं और कालिदास की हिमालय के बारे में कही पंक्ति तरोताजा हो जाती है :

आमेखलां संचरितां घनानां छायामधः सानुगुतां निषेव्य।
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृंगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः।।

(हिमालय की चोटियों की कमर तक ही बादल छाये रहते हैं। वर्षा आने पर नीचे की घाटियों से ऋषि-मुनि ऊपरी चोटियों पर चले जाते हैं जहाँ धूप रहती है।)

आप उदयपुर के इतिहास प्रसिद्ध गोगुन्दा कस्बे में जाइए। वहाँ मई-जून की गर्मियों में भी पंखे नहीं चलते थे, कूलर नहीं लगाये जाते थे। ऊँचाई के कारण स्वतः ही तापमान कम रहता है। गोगुन्दा की ऊंचाई आबू पर्वत से कुछ ही कम है। लेकिन अब वहाँ भी पहाड़, नंगा होने के कारण बहुत गर्मी पड़ने लगी है।

अरावली की यह गाथा प्राचीन है, अति प्राचीन; किन्तु आधुनिक काल में भी इतिहासकार बताते हैं कि सिकन्दर के आक्रमण के समय भी राजस्थान आज की तरह सूखा नहीं था। काफी हरियाली थी।

आज अरावली पर्वत और इसकी छोटी-मोटी शाखाएं राजस्थान के 19 जिलों में फैली हैं। इसे हम अरावली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस भू-भाग का कुल क्षेत्रफल 43,000 वर्ग किलोमीटर है।

अरावली कच्छ के रन से पूर्वी तुर्किस्तान तक के विस्तृत आकार को तो प्राकृतिक शक्तियों ने छिन्न-भिन्न कर आज एक पहाड़ी के रूप में कर दिया है। फिर भी यह पहाड़ी अपनी गोद में बसने वालों के लिए अभी कल तक जीवनदायिनी रही है, लेकिन सभ्यता के विकास के दौरान चन्द स्वार्थी लोगों ने इसके बचे-खुचे स्वरूप को भी बिगाड़ना और इसकी गोद में बसे आदिवासियों को उजाड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा करते समय न तो इन स्वार्थ-लोलुपों को यह ही ध्यान रहा कि बेसहारा लोगों को उजाड़ने, अरावली के जंगलों को काट-काटकर उसे नंगा कर देने, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संतुलन को बिगाड़ने से उन्हें क्या मिल जायेगा ! क्षणिक सुख के प्रलोभन में सुख के स्रोत को ही समाप्त करने में कौन-सी नैतिकता है ? कौन-सी बुद्धिमानी है ? भविष्य को बिगाड़ने में उनके कौन-से स्वार्थ निहित हैं ? यह तो ठीक वैसा ही है, जैसे रोज सोने का एक अण्डा देने वाली मुर्गी को, सभी अण्डे एक साथ ही प्राप्त करने के मूर्खतापूर्ण लालच में, मुर्गी को ही हलाल कर देना।

सरकार और धनपतियों की मिलीभगत से आज अरावली का जो सर्वनाश किया जा रहा है, उसी का यह परिणाम है कि राष्ट्रीय वन-नीति की अनुपालना भी नहीं की जा रही। राष्ट्रीय वननीति का यह स्पष्ट कथन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 66 प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए। इस नीति का उल्लंघन करने का ही परिणाम है कि आज अरावली क्षेत्र में मात्र 6 प्रतिशत भूमि पर जंगल शेष हैं। आज अरावली के पहाड़ लुट गये हैं।

इस युग में अरावली के विनाश की कहानी आजादी के बाद से प्रारम्भ होती है। आजादी से पहले अरावली आज से कहीं अधिक हराभरा था। अपने निवासियों की सभी आवश्यकताएँ पूरी करने में समर्थ था। आजादी के बाद से जब 'गरीबी हटाओ', 'विकास की गंगा बहाओ' जैसे लुभावने नारे लगने लगे, तबसे अरावली का सर्वनाश भी बड़ी तेजी से होने लगा। आज अरावली को उजाड़ बनाने के लिए सरकार के पास भी दो ही रास्ते रह गये हैं- (1) खनन और (2) पेड़ों की अंधाधुंध कटाई।

जहाँ तक खनन का प्रश्न है, अरावली क्षेत्र खनिजों का अपार भंडार है। इन खनिजों में लौह अयस्क, सीसा व जस्ता-सांद्र, टंगस्टन, तांबा, बेरिलियम, राक फास्फेट, जिप्सम, अभ्रक, एस्बेस्टास, फेल्स्पार, पन्ना, तामड़ा या गारनेट, बेराइट्स, कैल्साइट, सिलिका सैंड, संगमरमर, अन्य इमारती पत्थर, लिग्नाइट (कोयला), खनिज तेल प्रमुख हैं।

इन खनिजों में से अधिकांश अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में हैं जिनका दोहन कानूनी तथा गैरकानूनी ढंग से किया जा रहा है। परिणाम यह है कि लोगों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। उन्हें उन्हीं खानों में मजदूरी कर अपना जीवन नष्ट करने, महिलाओं की अस्मत लुटाने, बीमारियों से जूझने तथा बच्चों का भविष्य अंधकारमय करने को विवश किया जा रहा है।

वनस्पति की दृष्टि से भी अरावली क्षेत्र भरपूर रहा है और आज भी है। इसमें सभी तरह के वन पाये जाते हैं, जिनसे इस क्षेत्र के निवासी अपना जीवन-यापन करते थे। इन वनों में खेजड़ी, जाल, बबूल, कैर, रोहिड़ा से लेकर आम, गूलर, खेर, बरगद, जामुन, धोकड़ा, सरेस, अम्बरतरी, रोहिड़ा, पीपल, करौंदा, आंवला, बांस, बहेड़ा, खिरनी, धमल, तेंदू, सेमल, नीम, सालर, सागवान, महुआ, पारस आदि के वृक्ष मिलते हैं, जिनसे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति यहां के निवासी करते आये हैं।

इनके अतिरिक्त वनों की प्रमुख गौण उपजें हैं- गोंद, शहद तथ मोम, कत्था, आवल (इसकी छाल का उपयोग चमड़ा साफ करने के काम आता है), बांस के उत्पादन, तेंदू की पत्तियाँ, खस आदि।

वनों की अंधाधुंध कटाई से उनमें रहने वाले आदिवासियों का जीवन अंधकारमय किया जा रहा है। विकास के नाम पर यहाँ के जंगल, जमीन और जीवन को विनाश की ओर धकेला जा रहा है। इस विनाशोन्मुख प्रक्रिया में वन-विभाग भी कम दोषी नहीं। अरावली क्षेत्र में हरियाली लाने के नाम पर या खनन आदि के नाम पर व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। इस कार्य के लिए

भवनों, नई गाड़ियों, नई सड़कें बनाने, नये यंत्रों की खरीद से एक विशेष सुविधा-सम्पन्न लोगों को ही लाभ मिल रहा है। यहाँ के निवासी तो बेघर हो रहे हैं। साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई से बढ़ते रेगिस्तान को और आगे बढ़ने का खुला निमंत्रण मिल रहा है। पर्यावरण बिगड़ रहा है। वर्षा का औसत घट रहा है। पहले जहाँ इस क्षेत्र में वर्षा साल के 120 दिन होती थी, अब मात्र 30-40 दिनों तक सीमित रह गई है। मौसम की कठोरता बढ़ रही है। वनों के फूहड़पन से बेइन्तहा विनाश से यहां के आदिवासियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। ये वन जो कभी श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते थे, जहां प्राचीन काल में धार्मिक स्थलों की स्थापना हुई, आज अंग्रेजियत के विलासिता और कुकृत्यों के गढ़ बनते जा रहे हैं। कथोड़िया जैसी कई वन्य जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। वन्य-जीवों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। अब वे चन्द इने-गिने अभयारण्यों तक सीमित होते जा रहे हैं। वनों से प्राप्त होने वाली कीमती इमारती लकड़ी, जड़ी-बूटियों, व्यापारिक उत्पादों आदि का स्रोत ही समाप्त किया जा रहा है।

लोगों, स्थानीय नेताओं, प्रबुद्ध वर्ग, सरकारी अधिकारियों ने जो सहयोग दिया, जो उत्साह दिखाया और जो संकल्प लिए उनको देखते हुए यह आशा बंधती है, उत्साह बढ़ता है कि लोकतंत्र में लोक की आवाज अपना स्वर बुलंदी से उठायेगी और एक न एक दिन राजस्थान के जन-जीवन को समुन्नत बनाने, यहाँ के पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाये रखने वाले और अरावली को पुनः हराभरा करने का निर्णय लेकर जो लोग आज कदम बढ़ा रहे हैं, उनके आगे निहित स्वार्थों, चाहे सरकार के हों या चन्द चांदी के टुकड़े बटोरने वाले हों, - को नतमस्तक होना पड़ेगा। पर इन सारी बातों का दोष केवल सरकार के मत्थे मढ़ना ही ठीक नहीं। लोग भी क्षणिक भुलावे में आकर अपना भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं।

भीकमपुरा गाँव में बरगद के नीचे पदयात्रियों को अरावली चेतना यात्रा के लिए तैयार होने की चहल-पहल

इन विकट परिस्थितियों में आवश्यक हो जाता है कि लोगों में एक नई स्फूर्ति लाई जाये, जन-चेतना जगाई जाय कि किस तरह के क्षणिक प्रलोभनों में वे अपना सब कुछ, इज्जत-आबरू भी लुटाये जा रहे हैं। इसीलिए अरावली के विनाश की सुनियोजित प्रक्रिया को रोकने हेतु लोगों में जन जागृति लाने के लिए राज्य के जागृत एवं कर्मठ गैर-सरकारी संगठन अलवर के तरुण भारत संघ ने अरावली बचाओ अभियान जारी किया है। इस अभियान की सफलता के लिए क्षेत्र के सभी लोगों का जुड़ाव अत्यावश्यक है। इसी जनहित की भावना से प्रेरित होकर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अनेक गैर सरकारी संगठनों ने 'अरावली चेतना यात्रा' का आयोजन किया। यात्रा का शुभारंभ गुजरात के हिम्मतनगर से हुआ, जहां अरावली का एक छोर समाप्त होता है, इस यात्रा का अन्तिम पड़ाव दिल्ली जहाँ से दूसरा छोर शुरू होता है वहाँ यह यात्रा सम्पन्न होती है। यूँ हुई अरावली चेतना यात्रा की शुरुआत। ❐

2
अध्याय

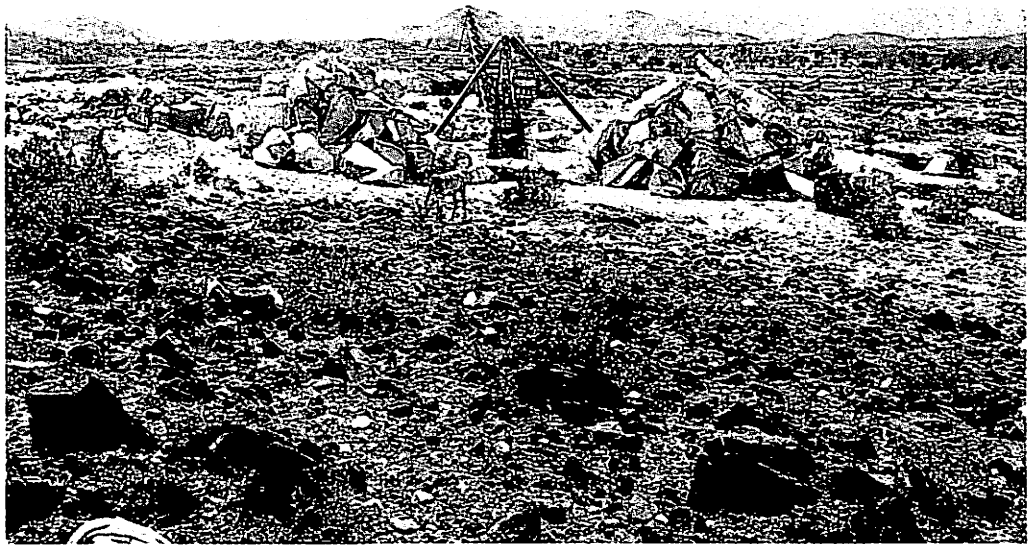

अपनों के घाव सबसे गहरे हैं !

यों तो प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। यह छोटे-छोटे जीव-जन्तुओं से लेकर वनस्पति जगत और लाखों साल तक बने रहने वाले सागरों-पर्वतों पर भी लागू होता है। मानव भी बचपन,जवानी और बुढ़ापे की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जीवन के अन्तिम क्षण तक अपनी यात्रा करता है। इसी प्रकार करोड़ों साल पुराने पर्वत भी अपनी जीवन-यात्रा के दौरान इन सभी परिस्थितियों से गुजरते हैं। अरावली भी उसका अपवाद नहीं है, लेकिन दुख इस बात का होता है, जब 'आग लग जाती है घर के चिराग से ' और 'बाड़ खाने लगती है खेत को ही '।

अरावली की दुर्दशा को ठीक से समझने के लिए और यह जानने के लिए कि किस तरह उन लोगों ने ही, जिन लोगों पर अरावली को बचाने का गुरुतर दायित्व था, इसे हरा-भरा रखने और इसके खजाने को सुरक्षित बचाये रखने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही इसके सर्वनाश का ताण्डव शुरू कर दिया, यह जानना जरूरी हो जाता है कि आजादी के पहले अरावली का क्या स्वरूप था और आजादी के बाद जब शासन हम भारतीयों के हाथ में आ गया, तो पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति के प्रलोभन में फंसकर, नये-नये नियम बनाकर, अपने ही बनाये नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हुए चंद मुट्ठीभर लोगों ने धन और सत्ता के नशे में चूर होकर अरावली के जंगलों को काटकर, अरावली की छाती को खानों के लिए खोद-खोद कर महाभारत काल की द्रौपदी के चीर-हरण जैसा अमानवीय, असांस्कृतिक, असामाजिक दृश्य उपस्थित कर दिया। इसकी गोद में स्वतंत्रता से विचरने वाले वन्य जीवों का वध कर तथा उनकी प्राकृतिक शरणास्थली को उजाड़कर उन्हें अब मात्र अभयारण्यों में गुलामी का जीवन जीने को विवश कर दिया ! इस तरह इसके बाशिन्दों को बेघर कर हजारों परिवारों को इस संकटापन्न स्थिति में ला दिया कि उनको जीने के लाले पड़ गये।

आजादी के पहले अरावली क्षेत्र का जीवन

इस शताब्दी के आरम्भ में सबसे पहले एक विदेशी महिला कुमारी मैकडम ने आबू पर्वत पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन किया था। उस समय अरावली कुछ और ही था। अरावली पर उन दिनों सघन वन पाये जाते थे। पर्वतों से चारों दिशाओं में झरने बहते रहते थे। मिट्टी सदा नम रहती थी। इस कारण वृक्ष बहुतायत से उगते, बढ़ते और फैलते थे। बीच-बीच में झाड़ियों का अम्बार लगा रहता था। इस तरह लगता था मानो अरावली कोई पर्वत नहीं, पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि धरती की हरियाली आकाश को चूमने उठ पड़ी है। बांसवाड़ा का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह नाम इसलिए पड़ा था कि इस क्षेत्र में बांसों के घने जंगल थे। इनमें से होकर गुजरना कठिन था। उन जंगलों में अनेक प्रकार के वन्य जीव रहते थे। अरावली के ही ऊँचाई वाले भागों पर सागवान, शीशम, अर्जुन, धावड़ा, करंज, बेलपत्र, सेमल, सालई, खिरनी,बहेड़ा, आंवला,आम, सालर, महुवा, पीपल, बरगद, खजूर, जामुन, धई आदि वृक्षों की भरमार थी। झाड़ियों में रतनजोत, करौंदा, घोर प्रमुख थे। खैरवाड़ा नाम भी इसलिए पड़ा कि इस क्षेत्र में खैर यानी कत्थे के जंगल खड़े थे। आज इन नगरों को देखिए। उनके आसपास दूर तक न तो खैर के जंगल दिखाई देते हैं, न बांस के ही। कत्था बनाने वाली कथोड़िया जाति तो अपना अस्तित्व ही खो चुकी हैं। जब खैर के वृक्ष ही नहीं रहे तो उनके रस से कत्था बनाने वाले वहाँ कैसे गुजारा कर सकते हैं !

अरावली के उस क्षेत्र में जो पश्चिम की ओर रेगिस्तानी भाग से मिलने लगता है, मरुस्थलीय वृक्षों की भी कई प्रजातियां पाई जाती थीं; जैसे खेजड़ी, बबूल, बोरड़ी आदि। इस पर्वत की पूर्वी ढाल पर जहाँ वर्षा की अधिकता थी, पलाश और बांसों के जंगल थे।

आजादी के पहले भी राजस्थान (या तत्कालीन राजपूताना) में शासन संभालने वाले अंग्रेज रेजिडेंट थे। उन अंग्रेज रेजिडेंटों तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने भी इस शताब्दी के आरम्भ में अरावली के पर्वतीय क्षेत्र का गहरा अध्ययन किया। कुछ तो शिकार के लिए और बहुत कुछ अपने पर्यटक स्वभाव के कारण। इनका वर्णन अत्यन्त रोचक है। उनके वर्णनों से पता चलता है कि उन दिनों अरावली के जंगली भागों में किस तरह वन्य पशु स्वच्छन्दता से विचरण करते थे। एक पर्यटक ने लिखा है कि सन् 1862 ई. के लगभग अरावली के दक्षिणी-पश्चिमी छोर पर स्थित अनादरा क्षेत्र में बब्बर शेर भी पाये जाते थे। आज अरावली क्षेत्र में उनका कहीं नामोनिशान तक नहीं है। अरावली के माउण्ट आबू क्षेत्र, सिरोही, जयपुर तथा अलवर की घनी पहाड़ियों पर बाघ और चीते बहुतायत से मिलते थे। बघेरे, चीते और भालू तो आमतौर पर अरावली के वनों में निश्शंक विचरण करते दिखाई दे जाते थे। भारत का अन्तिम चीता नाहरगढ़, आमेर में 1880 में मारा गया था।

सहज साहचर्य की सबसे निराली बात तो यह थी कि ये जंगली पशु न तो उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को अपना शत्रु समझते थे, न ही यहाँ के निवासी उनसे डरते थे। जंगली शिकारी पशु उन वनों में रहने वाले छोटे-मोटे पशुओं का शिकार कर अपना जीवन बिताते थे। छोटे-छोटे पशुओं के लिए झाड़ियों और घास की कमी नहीं थी। पक्षियों के लिए बारह महीनों वृक्षों से कुछ न कुछ खाने को मिलता रहता था। यहाँ के आदिवासी जंगलों से अपना जीवन व्यतीत करते थे। शिकारी पशुओं के लिए उनके प्राकृतिक आहारों–जानवरों की बहुतायत थी। इन भोज्य जीवों में जंगली सूअर, सांभर, चौसिंगा, चिंकारा, नीलगाय, काले हिरणों के झुंड के झुंड सहज ही उपलब्ध थे। प्राकृतिक संतुलन इतना कि शिकारी पशुओं में संग्रह की कुत्सित भावना होती ही नहीं। आज खा लिया तो संतृप्त हो गये। वन्य जीवों की संख्या बढ़ रही है, तो बढ़ती जाये। वह उनके भविष्य का आलम्बन थी।

उन दिनों जंगली मुर्गा अरावली पहाड़ियों की शान माना जाता था जबकि उसकी कुकडूकूँ से सारा अरावली-क्षेत्र गूँज उठता था। आज अरावली का यह हाल है कि कभी-कभार मुर्गे की बांग सुनाई दे जाये, तो आप अपने को खुशनसीब मान लीजिए। यह पशुपालकों का गढ़ था। इस क्षेत्र में श्री कृष्ण जी जैसे पशुपालक पैदा हुए। मथुरा से द्वारका तक का यह अरावली पर्वत क्षेत्र में कृष्णजी से संबंधित ही सर्वाधिक मन्दिर हैं। जैन मन्दिर भी बहुत हैं।

आज हालात यह है कि सरिस्का अभयारण्य तथा बाघ परियोजना रणथंभौर के अतिरिक्त कहीं भी अरावली क्षेत्र में बाघ नहीं हैं। तेंदुआ और भालू तो लुप्त हो चुके हैं। हिरणों की सभी प्रजातियाँ भी प्राय: लुप्त हो चुकी हैं। बच गये हैं काले मुँह और

लम्बी पूँछ वाले लंगूर। वह भी शायद इस कारण कि इनके साथ धार्मिक भावनाएँ जुड़ी हैं। हनुमानजी का अवतार मानकर न तो यहाँ वाले स्वयं इन्हें मारते हैं , न ही किसी को मारने देते हैं।

अरावली के वन्य जीवों को बचाने के लिए ही अंग्रेजों ने 'आबू वन्य जीव संरक्षण एक्ट, 1889' लागू कर दिया था, लेकिन कानून बनाने से ही क्या होना था। इस कानून के बावजूद वन्य जीवों का तेजी से विनाश होता रहा, उसी तेजी से जिस तेजी से वृक्षों की बे-रोक-टोक कटाई होती गई।

कानूनों के रहते अरावली के वृक्षों को पहले सम्पन्न लोगों ने काटकर अपनी कमाई का धंधा बनाया। धीरे-धीरे अन्य लोगों ने भी यहाँ के जंगलों का विनाश करना शुरू किया। इस तरह जब वन ही नहीं रहे तो वन्य जीव कहाँ रहते ? उन्होंने वहाँ से पलायन शुरू कर दिया। कुछ अपनी मौत मरे, कुछ बे-मौत शिकारियों के हाथों मारे गये। अरावली सूना होने लगा।

पहले अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में तरह-तरह की घास खूब होती थी। झाड़ियाँ भी खूब थीं। इन्हीं के सहारे अरावली के शाकाहारी वन्य जीव अपना पेट भरते थे। वृक्षों के कट जाने के पश्चात् झाड़ियाँ भी कटनी शुरू हो गईं। इससे वन्य जीवों को भोजन के अलावा रहने को भी सुरक्षित स्थान नहीं रह पाया। वे पलायन कर गये। उनके पलायन से मांसाहारी शिकारी पशु भी भोजन के अभाव में वहाँ से कूच कर गये। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। बाहर से आने वालों के अथवा यों कहिए भारतीय लोगों ने ही व्यापार से लाभ कमाने के उद्देश्य से अरावली के वन-क्षेत्र में मिलने वाले फलों का व्यापार शुरू कर दिया । आम, करौंदे, खजूर, जामुन, रानी, मेवा, अंजीर अब फल व्यापारियों की सम्पत्ति बन गये। इन्हीं पर पहले वन्य जीव अपना गुजारा करते थे।

वनों की अवैध और अंधाधुंध कटाई करने वाले वृक्षों के परोपकारी एवं पर्यावरण-संतुलन बनाये रखने की सामर्थ्य को भी भूल गये। वस्तुत: वृक्ष किसी से कुछ लेते नहीं, कुछ मांगते नहीं, अपितु अपने काटने वालों को भी फल देते हैं, उन्हें छाया प्रदान करते हैं, उनको सुख ही देते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वनों का बहुत ही महत्व माना गया है। हमारे ऋषि-कुल नगरों में नहीं, वनों में ही स्थापित थे। वहीं से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती थी। वनों में रहने वाले ऋषियों की ही वाणी थी :

'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:' तथा

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्।

कामये दुख तप्तानां प्राणीनामार्ति नाशनम्॥

भारतीय संस्कृति में यज्ञों का बहुत महत्व रहा है। फिर भी ऋषि-मुनियों ने यज्ञों में भी हरे वृक्षों का काटना उचित नहीं समझा। यज्ञ के लिए लकड़ियाँ 'काट' कर नहीं लाई जाती थीं। सूखकर नीचे गिर गई डालियों को ही काम में लिया जाता था। यज्ञ की 'अरणी' भी काठ की होती थी लेकिन शुष्क वृक्ष की लकड़ी ही अरणी बनाने के काम में आती थी। अरावली के वनवासी भी सूखी लकड़ियाँ 'बीन' कर ही ईंधन का काम लेते थे, या अधिक से अधिक वृक्षों पर लगी किन्तु सूखी लकड़ियों को ही तोड़ते थे। इससे मानव जीवन और प्रकृति के बीच पर्यावरण का संतुलन बरकरार रहता था। इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए अरावली की वन-वनस्पतियाँ, यहाँ के फल-फूल, चरागाहें और नदी-नाले ही सब कुछ थे। इन्हीं से वे पीढ़ियों से अपना गुजर-बसर करते आये थे। लेकिन विकास के नाम पर विनाश की जो छाया इन पर मंडराने लगी, उससे इनका जीवन ही दूभर नहीं हो गया, प्राकृतिक संतुलन इस प्रकार बिगड़ा कि बिगड़ता ही चला जा रहा है।

आजादी के बाद अरावली तो नंगा होता ही गया, वन्य जीव लुप्त हो गये, लेकिन बेहद दर्दनाक कहानी इस क्षेत्र से लुप्त होते कथोड़िया आदिवासियों की है। इन कथोड़ियों को लकड़ी के ठेकादारों ने स्वाधीनता-प्राप्ति के आसपास महाराष्ट्र से लाकर अरावली क्षेत्र में बसाया था। मूलत: ये मीणा जनजाति के हैं। शुरू-शुरू में लगभग 700 कथोड़िया परिवार आये थे। आज भी ये गुजरात के विजयनगर तथा राजस्थान के खैरवाड़ा और डूंगरपुर में फैले हैं ! आजादी मिलने पर सरकार ने बेघरों को घर बनाने की नीति घोषित की, सरकारी सहायता भी मिली। पर ये कथोड़िया करते क्या ? वनों के काटने से इनका नैसर्गिक व्यवसाय नष्ट होता जा रहा है। इनके पुनर्वास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। ये कथोड़िया सच्चे अर्थों में अपरिग्रही हैं। अपने

पास कुछ रखते नहीं। वनों, कन्दराओं से मिले फल-फूल और मृत जीवों के मांस पर अपना निर्वाह करते हैं। इस जनजाति में आज भी शिक्षा का प्रसार शून्य के बराबर है। देश और देश की जनजातियों के विकास के नाम पर अरबों खर्च हो रहे हैं, किन्तु इन कथोड़ियों को यह भी पता नहीं कि आजादी कब मिली ? किसको मिली ? किसलिए मिली ? ये तो अपने अतीत के नाम पर आठ-आठ आंसू बहाने को विवश हैं। शिक्षा से वंचित रहने और नये प्रकाश की किरणों से अछूते रहने के कारण इनका आत्मविश्वास टूट चुका है। चारों ओर से इन्हें उपेक्षा, घृणा, व्यंग्य और हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है।

पारम्परिक व्यवसाय- कत्था बनाने- से वंचित होकर ये रोटी को मोहताज हो रहे हैं। मजबूरन इनकी महिलाओं में देह-व्यापार तेजी से फैलता जा रहा है। राष्ट्रीय या राज्यीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक-चालकों द्वारा देह-शोषण से प्राप्त राशि ही इनकी उदरपूर्ति का एकमात्र साधन रह गई है।

पहले ये वनसम्पदा से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। इन्सान की तरह स्वाभिमान से जीते थे, लेकिन वनसम्पदा के नष्ट होने से इनका रिश्ता भी अपने परम्परागत व्यवसाय से टूटता जा रहा है। यदि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलजुलकर इनके सम्मानपूर्वक जीने और उचित पुनर्वास की व्यवस्था शीघ्र नहीं की तो इस प्राचीन जनजाति को नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकता। अभी तो इनमें एक क्षीण आशा है कि कोई इनके लिए भी कुछ करेगा, जब विलुप्त होने वाले पशु-पक्षियों को बचाने के लिए अभयारण्य खोले जा रहे हैं, इन इन्सानों की ओर भी कभी किसी की नजर पड़ेगी, किन्तु आज के सरकारी हालात, सरकारी कार्यक्रमों की क्रियान्विति और भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि 'मौजे तूफां को साहिल समझकर डूब जाते हैं अक्सर सफीने '।

राजस्थान में परम्परागत वन-प्रबंधन के अध्ययन से साफ जाहिर है कि अरावली के वन-विनाश और इसके कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं, जन-जीवन की संकटापन्न स्थिति और इस क्षेत्र से पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने वाले जीवों और वनस्पतियों का विनाश जितना आजादी के बाद अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन संभालने के पश्चात् हुआ, उतना न तो मुगलों के समय हुआ था, न ही अंग्रेजों के शासनकाल में।

राजस्थान में परम्परागत वनप्रबंधन का ढांचा इस प्रकार का रहा कि वनों, वनस्पतियों, वन्य जीवों तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों की जीवन-चर्या परस्पर कुछ इस प्रकार गुंथी थी कि वनों का संरक्षण सहज तरीके से बिना किसी नियम-कानून के ही परम्पराओं के माध्यम से होता रहता था। इस क्षेत्र की प्रत्येक जाति या उपजाति या कबीले वृक्षों में से किसी एक को या किन्हीं वृक्षों को अपनी 'धराड़ी' मानकर उसे अधिक से अधिक लगाते तथा उनकी रक्षा करना अपना कर्त्तव्य मानते थे।

पहले यहाँ के जंगलों को 'सामलात देह' यानी सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में माना जाता था। जंगल के प्रबंध के लिए अनेक अलिखित विधान थे। इस विधान के अनुसार गांव के पहाड़, गोचर भूमि, जंगलों तथा जोहड़ों का प्रबंध कार्य चलता था। उन नियमों को तोड़ने वालों के लिए ग्राम की पंचायतें ही दण्ड की व्यवस्था करती थीं। एक प्रथा यह भी थी कि जो परम्परा का निर्वाह न करे और उसे तोड़े, उसे प्रायश्चित करना पड़ता था। अति प्राचीन काल से ही 'सबै भूमि गोपाल की' मानी जाती रही है। इसलिए जंगलों तथा उनकी उपज पर भी किसी एक राजा या जागीरदार का अधिकार नहीं था। वह सब कुछ सबका था। इन वन्य पदार्थों के लिए किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। चरागाहों में पशु भी नि:शुल्क चरा करते थे।

लेकिन मुगल शासन के अन्तिम दिनों तथा अंग्रेजों का शासन स्थापित होते ही जंगलों को राज्य की सम्पत्ति मानकर उससे लाभ कमाने का लोभ शासक वर्ग में भरता गया। तभी से 'सामलात देह' यानी जंगल, जमीन एवं जल के उपयोग के लिए अलग-अलग राज्यों में कानून बनने लगे और वहाँ के निवासी या आदिवासी प्रकृति-प्रदत्त संसाधनों से या तो वंचित किये जाने लगे या उन्हें इनको काम में लेने के बदले टैक्स देना पड़ा।

पहले गांव के लोग यह तय करते थे कि किसी जंगल से वृक्ष या अन्य कोई वन्य उपज किस तिथि को ली जाय। इसके साथ ही यह भी तय होता था कि कांकड़ बनी, रखत बनी, देव औरण्य तथा वाल आदि में पशुओं की चराई कब और कैसे करनी है। ये सारी बातें गांव की खुली सभा में तय होती थीं। इस कारण सबके लिए ये बातें मान्य होती थीं और कोई भी इनके विपरीत

कार्य करने का साहस नहीं करता था। साहस करे भी तो कैसे ? सारे गांव वाले एक दूसरे को जानते थे। यदि कोई चोरी-छुपे भी उनके परम्परागत नियमों की अवहेलना करता, तो झट पता लग जाता था। यदि दोषी प्रायश्चित न करे तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। जाति-बहिष्कार भारी दण्ड था। ऐसे व्यक्ति के साथ उठना-बैठना, खाना-पीना मना था। शादी-विवाह भी ऐसे व्यक्तियों के लिए कठिन काम था। यह विशेष उल्लेखनीय है कि जिन आदिवासी गांवों में यह परम्परागत व्यवस्था अभी लागू है, वहीं पर आज भी कुछ जंगल बचे दिखाई देते हैं।

प्राचीन व्यवस्था में गांव के जीवन और जंगल के बीच एक अटूट संबंध था- एक तारतम्य। इसके लिए अनेक नियम गाँव वालों ने ही बना रखे थे, जैसे कांकड़ बनी, रखत बनी, देव औरण्य,वाल, देवबनी, पीर की बगीची, संतों की धूणी, पठान की इबादतगाह आदि।

कांकड़ बनी- जिस तरह आज भी दो खेतों के बीच झाड़ी लगाकर एक को दूसरे से अलग रखा जाता है, उसी तरह दो गांवों के बीच जंगलों की बाड़ होती थी। ये गांव की सीमायें होती थीं। दोनों गांवों के देवता भी अलग-अलग होते थे। इस देवता का स्थान अमूमन गांव के पश्चिमोत्तर दिशा में होता था। उस दिशा का जंगल कांकड़ बनी कहलाता था। कांकड़ बनी हमारी जंगल सुरक्षा की प्राचीन परम्परा का जीता-जागता प्रमाण है। इस जंगल का संबंध देवी-देवता से होने के कारण इसकी लकड़ियाँ काटना अपराध था। इस कारण आज भी ऐसे जंगल सुरक्षित हैं। अलवर जिले के गढ़ बसई गांव में जोगियों की ढाणी आसण में सैन नाथ जी की कांकड़बनी मौजूद है जो लगभग डेढ़ किलोमीटर लम्बी तथा एक किलोमीटर चौड़ी है और आज भी सुरक्षित है।

रखत बनी- भी जंगलों की सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण परम्परागत नियम था। गांव के पूर्व-उत्तर में लोग मिल जुल कर अपनी शक्ति के अनुसार कोई स्थान तय कर लेते थे। इस भूमि में सबका यथायोग्य भाग होता था। गांव वालों ने अपना स्वयं का अनुशासन स्थापित कर रखा था। रखत बनी से कोई वृक्ष नहीं काटेगा। हरे पत्ते तक नहीं काटे जाते थे। केवल अकाल या महाकाल पड़ने पर गांव वाले इस बात की सहमति प्रदान करते थे कि अब इस रखत बनी का उपयोग गांव के लिए किया जा सकता है, वह भी न्यूनतम आवश्यकता के लिए, व्यापार के लिए नहीं।

देव औरण्य- के लिए कुछ क्षेत्र देवता की सम्पत्ति मानकर छोड़ दिये जाते थे। इसके चारों ओर गंगाजल और गाय का दूध मिलाकर फेरी लगाते थे। इस तरह देव औरण्य की सीमा तय की जाती थी। इसमें भी लोग वृक्ष आदि नहीं काटते थे।

वाल- ये सुरक्षित क्षेत्र थे जो किसी मंदिर के पुजारी के नाम पर होता था। इस भूमि पर मंदिर के महन्त भी खेती नहीं कराते थे। केवल इसकी वन्य उपज मंदिर के काम आती थी। इस क्षेत्र में केवल गांव के पशु चरा करते थे। ऐसे सुरक्षित वाल मंदिरों की ही सम्पत्ति नहीं होती थी। कहीं-कहीं राजा और जागीरदार भी गांव वालों के पशुओं को चराने के लिए कुछ भूमि वाल के रूप में रख छोड़ते थे।

देव बनी- जहाँ कोई साधक रहता था या सिद्ध पुरुष समाधि लेता था, उसके आसपास के जंगल-भूमि को देव बनी के नाम से जाना जाता था। इस जंगल से भी लोग हरी लकड़ी नहीं काटते थे। आज भी इसके उदाहरणस्वरूप भर्तृहरि बाबा की बनी मौजूद है। आजकल यदि कहीं पुराने जंगल बचे हैं तो इन्हीं कांकड़बनी, रखत बनी, धाम-धुणी, देव बनी, देव औरण्य,सिद्ध क्षेत्र, पीरबाबा की बगीची, पठान की इबादत गाह आदि नाम से जुड़े होने के कारण। **अरावली चेतना पदयात्रा** के दौरान जगह-जगह जहाँ कहीं भी घने पुराने जंगल दिखाई पड़े, उनका संबंध इन्हीं धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मिला- कहीं कोई धाम (तीर्थ-स्थल), तो कहीं देवता की धुणी, कहीं भगत (भक्त) का स्थान, कहीं (किसी) गुरु की समाधि। मध्य अरावली में पाया गया कि कतिपय क्षेत्रों में देव औरण्य, बाबा का मगरा, देवी माता का मगरा, देवता की डूंगरी, पीरबाबा की बगीची, सैयद का बाग तो कहीं सिद्ध बाबा का स्थान कहकर कुछ प्राचीन जंगल शेष बचे हैं- शेष ही नहीं बचे हैं, उनको लोग पवित्र भी मानते हैं।

लेकिन उन्नीसवीं सदी से जब यहाँ अंग्रेजियत का बोलबाला होने लगा, इन सभी प्राचीन मान्यताओं को, जिनका संबंध जनजीवन से था और जो प्राकृतिक रूप में पर्यावरणीय संतुलन बनाने में पूर्णतया सक्षम थीं, भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति के

उपासकों ने वन-अधिनियम बनाने आरम्भ कर दिये। इनमें अंग्रेजों के दबाव के कारण देशी शासकों ने भी साथ दिया। जंगलों को ठेके पर कटवाया जाने लगा। इस वृक्ष कटाई के दौरान जब स्थानीय लोगों की धराड़ी (पूजा के) वृक्ष भी काटे जाने लगे तो उनको बहुत ठेस पहुँची। पीपल और बरगद के पेड़ भी जब कटने लगे तो लोगों ने विरोध भी किया लेकिन विरोध का स्वर स्थानीय स्तर पर ही उठा। लोगों में संगठित विरोध करने का गुण विकसित नहीं हो पाया था। इसका नाजायज लाभ अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने राजाओं और बड़े जागीरदारों को बाध्य कर दिया कि वे अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा रूंध के रूप में छोड़ दें। रूंध के लिये जगह छोड़ देने पर यद्यपि वहाँ अंग्रेजों, राजाओं, सामन्तों के लिए ऐशगाह तो बनने लगे,किन्तु अभी अरावली का नग्नीकरण नहीं शुरू हुआ था। आज से 30 वर्ष पहले भी भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में 70 ऐसे गाँव थे जहाँ का जनजीवन रूंध की छाया में पनपता रहा। रूंध के कारण कभी पशुओं के लिए चारे की कमी नहीं हुई। यद्यपि रूंध बनने के बाद वह भूमि राजा या सामन्त की निजी सम्पत्ति हो गई, फिर भी उस क्षेत्र में पशुओं की चराई बे-रोक-टोक होती रही। लेकिन रूंध बनने से एक सबसे बड़ा घाटा यह हो गया कि खेती की जमीन भी रूंध घोषित होने लगी। इससे लोग उस क्षेत्र में खेती करने से वंचित रह गये। अब राजा के घोड़ों तथा गायों की चराई इनमें होने लगी। उनके लिए घास भी यहीं से कटकर जाने लगी। फिर भी इस प्रकार की रूंधों में गांव वालों के पशु भी चरते थे। वैसे रूंध राजा की जमीन थी, फिर भी परम्परावश उपयोग करते रहने के कारण गांववाले भी इसे सामलाती देह मानकर इसका मर्यादित उपयोग करते ही थे। संकट के समय में तो रूंध ही यहाँ के लोगों का एकमात्र सहारा थी। 82 वर्षीय **रामजीलाल आर्य** का कहना है कि रूपवास की रूंध से हम सबका जीवन चलता था। इसकी गन्देल, श्रीरंगा, लाम्बी तथा गुरूदू खा कर हमारी गाय-भैंसें खूब दूध देती थीं। लेकिन जबसे यह खत्म हुआ हमें दूध-छाछ मिलना भी बन्द हो गया। रूपवास के सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार का कहना है कि रूपवास रूंध पहले मुगल सम्राट अकबर की शिकारगाह थी। बाद में भरतपुर नरेश ने इसे रूंध घोषित कर दिया। इस जमीन का रकबा 7 हजार बीघा है। अगर यह जमीन 'मकबूजा मालिकान सामलात देह' के खाते दर्ज होती तो राज्य इस रूंध को नहीं तोड़ सकता था। फिर तो जमीन किसी को आवंटित करने से पहले स्थानीय ग्रामीण समुदाय की सहमति लेनी पड़ती। यह जमीन चूँकि 'सरकार दौलत मदार ' दर्ज थी, इसलिए सरकार ने इसका आवंटन कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने सामलात खाता समाप्त कर दिया। ग्राम समुदाय के बुनियादी हक समाप्त हो गये। इन दोनों में अन्तर यह है कि 'सरकार दौलत मदार' भूमि तो पूर्ण राजा के अधिकार में थी लेकिन 'मकबूजा मालिकान सामलात देह' को जब रूंध घोषित किया जाता था तो उस जमीन का परम्परा से उपयोग करने वालों की सहमति लेनी पड़ती थी।

एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब रूंध थी तो कोई पहाड़ी नंगी नहीं थी। सभी जगह घास की प्रचुरता थी, वृक्ष थे। गांव में कोई परिवार ऐसा नहीं था जिसके पास पशु न हों। अगर किसी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह पशु खरीद सके तो वह 'बटाई' पर पशु चराया करता था। इस तरह सबको दूध-छाछ की उपलब्धि होती रहती थी ! यह एक रूंध की बात नहीं है।

जब से सामलात देह को सरकारी जमीन घोषित किया जाने लगा तभी से गांव वालों ने उस जमीन के जंगल-जमीन-जल में सक्रिय रुचि लेना बंद कर दिया। परिणामस्वरूप पहाड़ियाँ नंगी होने लगीं। घास की कमी आ गई। इन सबका परिणाम यह रहा कि लोगों को दूध-छाछ की कमी होने लगी। पशुओं की संख्या घटने लगी। फिर पहाड़ियों के नंगे होने पर उनकी खुदाई होने लगी। उनके पत्थरों से नई सभ्यता के भव्य महल बनने लगे। मशीनों आदि से प्रदूषण बढ़ता गया।

अरावली राजस्थान का जीवन-रक्षक ही नहीं रहा, इसने लोगों में धार्मिक एकता बनाये रखकर मानवता का संदेश भी गुंजाया। इस क्षेत्र में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख आदि सभी प्रमुख धर्मों के पूजा-स्थल हैं। इन पूजा-स्थलों को सभी धर्मावलम्बी समान आदर देते हैं। इस क्षेत्र के जंगलों की रक्षा करना सभी अपना कर्त्तव्य मानते हैं। ब्रह्मा का मंदिर इसी अरावली क्षेत्र के पुष्कर में है। इसी के पास अजमेर में पहाड़ी की तलेटी में गरीब नवाज ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है जहाँ भारत भर के मुसलमान जियारत करने तो आते ही हैं, अन्य धर्म वालों की भी इसमें आस्था है। जैनियों के अधिकतर अतिशय क्षेत्र इसी अरावली क्षेत्र में हैं। भर्तृहरि का सिद्ध स्थान इसी अरावली क्षेत्र में है, जहाँ मेव, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिन्दू सभी भक्तिभाव से जाते हैं। इन स्थानों की रक्षा और यहाँ के वनों को संरक्षण इसी कारण मिल पाया कि ये सामलाती जीवन शैली के अंग थे।

आजादी के बाद चाहे कितने भी अच्छे और बड़े काम हुए हों, पहाड़ों और जंगलों की बरबादी इस कदर हुई कि उसकी पूर्ति होना असंभव-सा जान पड़ता है। यह सारा काम तो अपने लोगों ने ही किया है। इसमें न मुगल बादशाहों का दोष है, न अंग्रेजों का, न ही देशी रजवाड़ों का। दोष है तो केवल अपने नुमाइन्दों का जिनके देखते-देखते अरावली नंगा होता जा रहा है, वृक्षों की अवैध कटाई धड़ल्ले से जारी है, खानों की खुदाई बेधड़क चालू है, न्यायालय के आदेशों की भी अनुपालना नहीं की जा रही।

वृक्षों की कटाई अपनों ने ही शुरू की

आजादी से पहले राजस्थान में देशी रियासतें थीं- यानी रजवाड़ों का शासन था। ये सभी अंग्रेजों के ही मातहत थीं। इन रजवाड़ों ने अपने अलग-अलग कानून बनाये थे लेकिन सभी कानून अंग्रेजों के अनुसार ही बनते थे। इन देशी राजाओं ने अपने मातहत जागीरदारों को 62 प्रतिशत जमीन सौंप रखी थी। ये जागीरदार अपनी जमीन खेती के लिए काश्तकारों को देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। इस कारण यहाँ के वास्तविक किसानों की माली हालत बदतर थी।

आजादी मिलने के बाद यह प्रथा खत्म हो गई। जब यह प्रथा खत्म हो रही थी, तभी से इस राज्य में, विशेषकर जंगली क्षेत्र में, पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। इस तरह वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सन् 1949 में एक अध्यादेश लागू किया गया। इसके बाद जब सन् 1952 में जागीर अधिग्रहण कानून बना तो काश्तकारों को तिहरे शोषण से मुक्ति मिली। अब उनका संबंध सीधे राज्य सरकार से रहने लगा।

सन् 1955 में 'राजस्थान टेनेन्सी एक्ट' के जरिये जमीन पर काम करने वालों को मालिकाना हक दिया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि खेती करने वाले मजदूर मालिक की हैसियत में आ गये। इस विश्वास से कि ये अब जमीन के मालिक बन गये हैं, किसानों ने बंजर भूमि को भी खेती लायक बनाने में पूरा श्रम किया।

तत्पश्चात् सीलिंग कानून बनने से एक सीमा बांध दी गई कि कौन कितनी भूमि पर अपना मालिकाना हक रख सकता है। लेकिन यह कानून भी प्रभावी ढंग से राजस्थान में लागू नहीं हुआ। सीलिंग में से निकली भूमि को प्रभावशाली धनिकों ने अपने नाम से आवंटित करा ली। मुकदमेबाजी के कारण आवंटित जमीन पर भी खेती करने वालों को कब्जा नहीं मिला। वे फिर भूमिहीन मजदूर बनने पर विवश हो गये। सीलिंग की कुछ जमीन ऐसे लोगों ने भी हथिया ली जो खेती करते ही नहीं थे। उन्होंने उस जमीन को बेचकर शहरों में उद्योग लगाना शुरू कर दिया जो प्रदूषण और आर्थिक शोषण का पक्का आधार बन गया।

राजस्थान में राजस्व सरकारी भूमि का आवंटन कुछ इस कदर हुआ कि गरीब किन्तु सचमुच खेती पर गुजारा करने वालों को जमीन मिल ही नहीं पाई। असरदार लोगों ने अपने बेटे-पोतों और संबंधियों के नाम जमीन आबंटित करा ली यद्यपि उनके नाम से पहले ही काश्त भूमि थी।

इसके बाद गांवों की सामुदायिक सम्पत्ति का भी निजीकरण होने लगा। पहले गांव की आबादी भूमि में 'गोरा' होता था जिसमें गांव के सभी पशु चरते थे। अब उस भूमि को भी, जो सामिलात रूप से सभी गांववालों की थी, गांव के ही असरदार लोगों ने अपने नाम आबंटित करा ली। मंदिरों के नाम पर छोड़ी जमीन को भी पुजारियों ने अपने बेटे-पोतों के नाम करा ली। इसमें चाल यह बरती गई कि मन्दिर जिस नाम से था, पुजारियों ने अपने बेटे-पोतों के वही नाम रख दिये; जैसे सीतारामजी के मंदिर की जमीन को हड़पने के लिए पुजारियों ने अपने बेटे-पोतों का नाम सीताराम, रामचन्द्र आदि रख दिये।

इसी तरह बांझ और बंजर भूमि को भी लोगों ने हथिया लिया। पहले ऐसी भूमि सामलात देह मानी जाती थी और गांव वाले भी इसकी देखभाल करते थे। इस तरह उस भूमि का नियंत्रित उपभोग होने से प्राकृतिक संतुलन बना रहता था लेकिन इस भूमि का वर्गीकरण ठीक ढंग से नहीं होने से इसका दुरुपयोग होने लगा। पहले गांव की ओर से एक चौकीदार ऐसी भूमि की निगरानी के लिए रखा जाता था। अब इस प्रकार की भूमि पर किसी का हक नहीं रहा।

अनुसूचित व आरक्षित जातियों की तो और भी हालत खस्ता हो गई। उनकी भूमि तो उनके नाम ही रही लेकिन वास्तविक कब्जा असरदार लोगों ने अपने हाथ में रखा। इस कारण ऐसे लोगों को सरकारी ऋण आदि भी मिलने का रास्ता

बन्द हो गया, क्योंकि कागजों में वे बड़े-बड़े भू-स्वामी थे। इस तरह इस कानून की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं कि अनुसूचित/आरक्षित जमीन को कोई खरीद नहीं सकता। एक और समस्या खड़ी हो गई। जमीन पर खेती करने वाले का नाम खसरा में नहीं लिखा जाता, केवल 'जिन्स' लिखी जाती है। इस तरह ऐसे लोग जो बड़े शहरों में अपना कारोबार चलाते हैं, वे भी उस जमीन के मालिक बने रहे।

जल-स्रोतों से संबंधित समस्यायें भी हल नहीं हो पाई हैं। 500 एकड़ से कम सिंचाई करने वाले बांधों को सिंचाई-विभाग ने नहीं लिया। उनकी पाल जो सीलिंग में थी, जमींदारों से निकाल ली गई। अब उन पालों की देखभाल ग्राम-सभा या पंचायत भी नहीं करती। वे टूटती जा रही हैं। कहीं-कहीं लठैतों ने उन पर कब्जा कर लिया है। इस तरह पानी के स्रोतों पर भी असरदारों ने कब्जे कर लिए। आजादी के पहले खेतों में बने कुएं जागीदारों के नाम से चल रहे हैं, जबकि उस भूमि पर काश्त दूसरे कर रहे हैं। इस कानूनी अड़ंगेबाजी से जागीरदार अपने नाम के कुओं से सिंचाई करने वालों से सिंचाई के नाम पर मोटी रकमें वसूल करते हैं।

इन कानूनी विसंगतियों के साथ ही सरकारी विभागों का रवैया भी जन-कल्याणकारी नहीं है – यद्यपि आज की सरकारें जनकल्याण का उद्घोष करती हैं और गरीबी हटाओ के नारे पर जी रही हैं।

नमूना देखिए। वर्षा का जल रोकने के लिए अपने खेतों की पिलाई हेतु बांध-तालाबों का बनाना या उस जल से कुओं का जल-स्तर ऊपर उठाने के लिए जिससे अधिक दिनों तक पानी मिल सके और मेहनत कम करनी पड़े, किसानों को हक नहीं मिला है। अलवर जिले की एक स्वयंसेवी संस्था **तरुण भारत संघ** ने किसानों की जमीन पर 2500 छोटे-छोटे बांध बनाये, लेकिन यहाँ का सिंचाई विभाग उन्हें गैर-कानूनी करार दे रहा है। कई बांधों को तोड़ने की नोटिस भी दी गई। इन सब कारणों से खेती को समुन्नत कर अपनी माली हालत सुधारने जैसे अच्छे एवं राष्ट्रीय महत्व के कामों से भी लोग कतराने लगे हैं।

सरकारी विभागों में तालमेल न होने के कारण अलवर जिले में तो आरक्षित क्षेत्र का अस्तित्व ही समाप्त होने जा रहा है। भारत सरकार से लेकर राजस्थान राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सरिस्का अभयारण्य के नाम से जानी जाने वाली भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा अब तक जंगलात में अमल दरामद नहीं किया गया। यह क्षेत्र लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को भूमि राजस्व से जंगलात में अमल दरामद नहीं करने के कारण, इस विशुद्ध और कानूनी रूप से जंगलात भूमि पर खनन कार्य चल रहा है। गत 28 फरवरी 1991 से 80 शिकारी परिवारों ने एक घूमती-फिरती आबादी इस जंगलात में बना ली है। राजस्व रिकार्ड सही नहीं होने के कारण वन विभाग इन शिकारियों को हटा पाने में असमर्थ हो रहा है। दूसरी समस्या लीजिए। सन् 1975-76 में इस जंगल से सरकार ने 5 गांव खाली करा लिये थे। अब वे सभी जंगलात की उसी भूमि पर आकर बस गये हैं। इसी तरह अमरा का बास नामक गांव में सैकड़ों एकड़ जंगलात भूमि पर अंधाधुंध गैर कानूनी कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। इन अवैध कब्जों में लिप्त कौन हैं ? ये लोग हैं जिनके पास पैसे का जोर है, वे लोग हैं जो कानून की खामियों को जानते हैं, वे लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रभावशाली नेता हैं। इन गड़बड़ियों के चलते वन-विभाग के अधिकारी भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पर्यावरण-संतुलन बिगड़ रहा है। आरक्षित क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है।

इस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए असरदार लोग सरकार की मिलीभगत से वन-विनाश पर तुले हैं। अवैध खनन जारी है, यद्यपि न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि अमुक-अमुक क्षेत्रों में खनन का निषेध है। गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, वन कट रहे हैं, खनन से लोग बेघर हो रहे हैं, मालिक से लोग मजदूर बन रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मूलभूत सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है।

यह अरावली का आर्तनाद है ! दिन के उजाले में, रात के सूनेपन में अरावली का रुदन सुना जा सकता है, उसके वन्य जीवों की चीख-पुकार गूंजती रहती है, आदिवासियों और अरावली के वनों पर जीविकोपार्जन करने वालों की चीखें क्रन्दन में बदलती जा रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं। सुनने वाले ही जब कान में रूई ठूंसकर भांग पीये बैठे हैं तो अरावली के आर्तनाद को कौन सुने ? जब खेत को बाड़ ही खा रही हो, अपने ही लोग अपनों का खून पीकर तोंद बढ़ा रहे हों और रक्षक ही भक्षक बन गये हों तो अरावली की पीड़ा को सुनने-समझने वाले बच ही कौन जाते हैं ? ❐

3
अध्याय

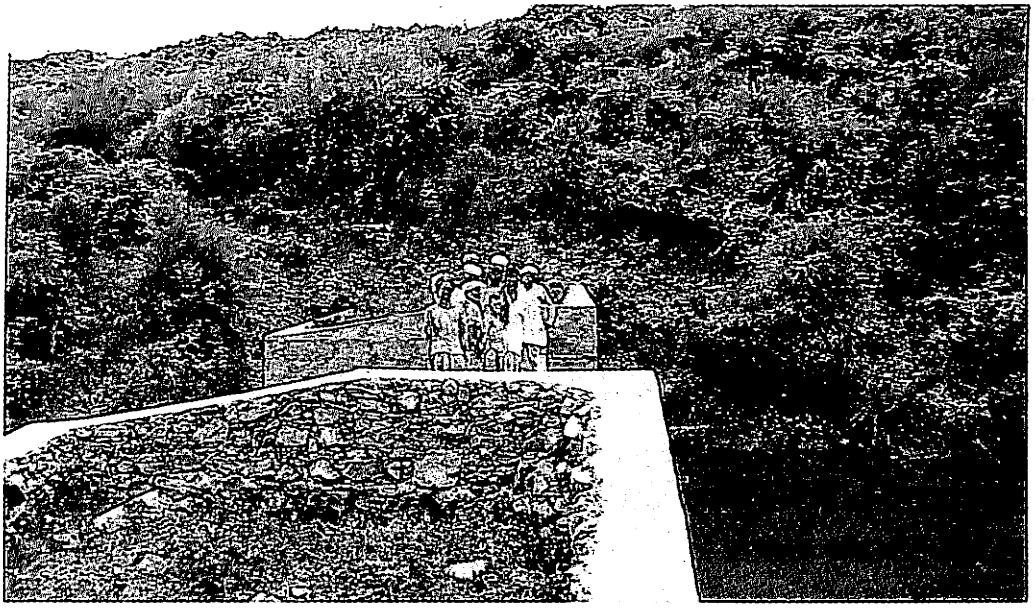

आवाज दे रहा है कोई पहाड़ियों से

तो क्या अरावली की चीत्कार कोई नहीं सुनेगा ? इस क्षेत्र के वन्य जीवों, वृक्षों, आदिवासियों का क्रन्दन 'नक्कारखाने में तूती की आवाज' बन कर रह जायेगा ? क्या सत्ता के मदान्ध धृतराष्ट्रों की भरी सभा में द्रौपदी की पुकार अनसुनी रह जायेगी ?

नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ! द्रौपदी की रक्षा के लिए भी किसी शक्ति को धरती पर आना पड़ा था। राष्ट्र कवि रामधारीसिंह दिनकर ने इस स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्र अपने 'कुरुक्षेत्र' में खींचा है। वे कहते हैं :

नर की कीर्ति धुना उस दिन कट गई देश में जड़ से,
नारी ने सुर को टेरा जिस दिन निराश हो नर से।

तो क्या यह मान लिया जाये कि आज उस अरावली क्षेत्र में कोई नर नहीं बचा है, कोई मर्द नहीं है ? जिस क्षेत्र के भीलों, मीणों, गुर्जर-गरासियों व अन्य आदिम जातियों ने अपने हमलावरों को लोहे के चने चबवाकर अपनी आजादी बरकरार रखी, अपनी भूमि पर आक्रान्ताओं को कदम नहीं रखने दिया, उनकी रक्षा कोई नहीं करेगा ?

नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जब 'मुई खाल की सांस सों सार भस्म हो जाय' तो जिन्दगी की आह क्या नहीं कर सकती ! भले ही आज के सत्ता मदान्ध और चांदी के टुकड़ों पर बिकने वाले अरावली की हर 'आह' पर अपनी विजय की 'वाह' गुंजाते रहें; अरावली के, राजस्थान की जीवन रेखा के दर्द को सुनने वाले समझने वाले अभी हैं। और ये वे लोग हैं जिनकी नसों में स्वाभिमान, आत्मसम्मान, परोपकार, राष्ट्र-उत्थान का रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये हैं अरावली क्षेत्र के तरुण जिन्होंने गरीबों, दीन-दुखियों के उद्धार का ही ध्येय नहीं बना रखा है, अपितु उन परिस्थितियों को सुधारने का भी बीड़ा उठाया है जो पर्यावरण को दूषित, असंतुलित करके लोगों का जीवन नरक बना रही हैं।

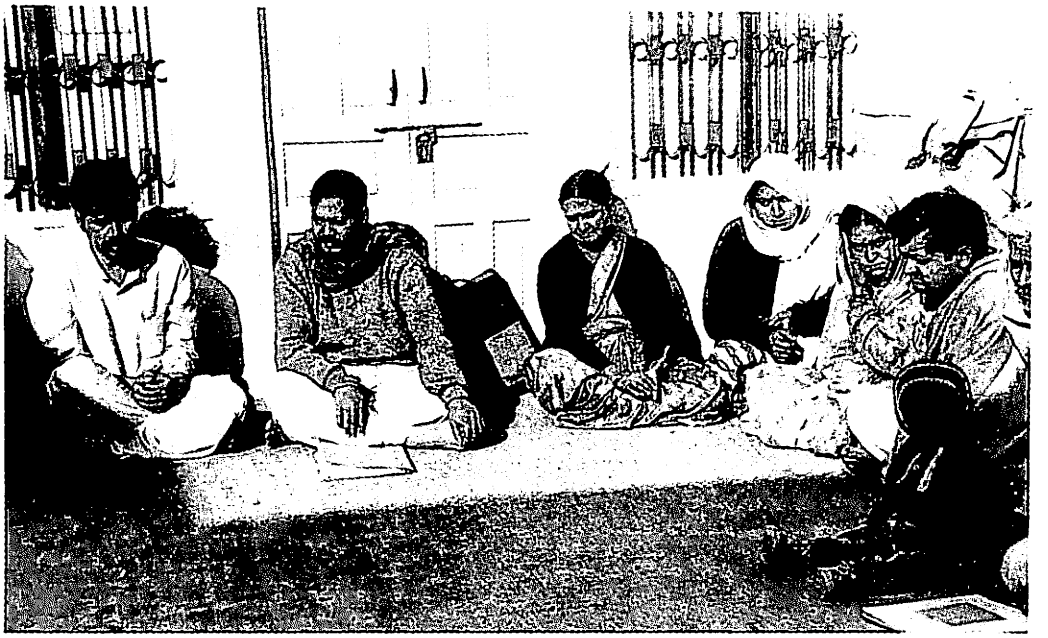

चेतना यात्रा के बारे में विचार-विमर्श

ऐसी ही एक संस्था **तरुण भारत संघ** ने **'अरावली बचाओ'** अभियान का कार्यक्रम हाथ में लिया है। संस्था ने देखा कि अरावली क्षेत्र के आदिवासियों का वन-आधारित जीवन ध्वस्त हो रहा है, व्यापक खनन एवं वन-विनाश ने उपजाऊ कृषि भूमि को भी बंजर में बदलना शुरू कर दिया है, चांदी-सोने की खनन पर मदान्ध सत्ताधारी अपना विवेक खोते जा रहे हैं, वन और वन-उपजों के मालिक बंधुआ मजदूर होने पर विवश होते जा रहे हैं, तो एक संकल्प लिया। इस विनाश-लीला को समाप्त करना है, अरावली को फिर से हरा-भरा करना है, उसके आदिवासियों को दासता के चंगुल से छुड़ा कर स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने के लिए पहले की तरह जल, जंगल और जमीन के सारे अधिकार वापस दिलाने हैं। इसके लिए 25 जुलाई 1993 को **'गांधी शान्ति प्रतिष्ठान'** दिल्ली में 'अरावली बचाओ अभियान' को तीव्रता प्रदान करने के लिए एक सहयोगी समूह का गठन किया गया। इस अहिंसक आन्दोलन की कार्ययोजना इस प्रकार तय की गई :

1. अरावली पर्वतीय क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सम्पूर्ण अरावली क्षेत्र में जन-जागरण एवं चेतना जागृत की जाये। इस अभियान के दौरान शासकीय व गैर-शासकीय सभी लोगों का सहयोग लिया जाये।

2. अरावली क्षेत्र की जैव विविधता, 'जीन पूल' एवं जल स्रोतों को उसके वन क्षेत्रों, वन्य जीव अभयारण्यों एवं इनके 25 किलोमीटर के परिधि-क्षेत्र में अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखने की व्यवस्था जन-भागीदारी से करने की व्यवस्था की जाये।

3. अरावली क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पदाओं की जानकारी एवं उनमें आ रहे परिवर्तनों के प्रभाव पर व्यापक शोध करने के लिए **'अरावली पर्वतीय क्षेत्र शोध संस्थान'** की स्थापना की जाये।

4. अरावली क्षेत्र में वन-विनाश, चारागाह विनाश, वन्य जीवों के शिकार एवं खनन पर पूर्ण पाबन्दी के लिए ग्राम स्तर पर समितियाँ गठित की जायें।

5. अरावली क्षेत्र के जल-स्रोतों को संरक्षण प्रदान करने एवं उनका समुचित उपयोग करने के हर संभव प्रयास किये जायें।

6. वर्तमान में राज्य में चल रही 28000 खानों में से अरावली के वन क्षेत्रों में चल रही अवैध खानों पर प्रतिबंध तथा इस क्षेत्र से बाहर चल रही खानों में केवल वैज्ञानिक विधि से खनन की स्वीकृति दिलाने पर जोर दिया जाये।

7. वन विभाग द्वारा घोषित वन क्षेत्रों से सभी प्रकार के वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने एवं लकड़ी-कोयले के डिपो बन्द करवाने पर जोर डाला जाये।

8. अरावली क्षेत्र के प्राकृतिक चारागाहों को फिर से विकसित करने के लिए एक योजना लागू कराने का प्रयास किया जाये।

9. 'अरावली बचाओ आंदोलन' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय, राज्यीय तथा क्षेत्रीय आधार पर समन्वय समितियाँ गठित की जायें।

इस कार्य-योजना का प्रथम बिन्दु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण पहले इसे ही हाथ में लिया गया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि जब तक जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी, तब तक अपने विकास के कार्यों को भी ऊपर से थोपी गई मानकर उसमें अपनी भागीदारी नहीं निभायेगी, अत: यह योजना भी अन्य सरकारी कार्यक्रमों के समान या तो निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के हाथों में चली जायेगी या असफल ही सिद्ध होगी। इस कारण सर्वप्रथम अरावली क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं, अधिकारियों, जननेताओं एवं समाज के प्रबुद्ध वर्गों से सम्पर्क किया गया। इतनी तैयारी के बाद निश्चय किया गया कि 'अरावली चेतना यात्रा' का शुभारम्भ इस पर्वत के धुर दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र स्थित गुजरात के हिम्मतनगर से प्रारम्भ किया जाये और सम्पूर्ण क्षेत्र के गाँवों-कस्बों, नगरों, शहरों में 'अरावली बचाओ' का सिंहनाद गुंजाते हुए यात्रा का समापन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाये जिससे इस सिंहनाद की गर्जना सारा देश सुन सके और हमारे अभियान की वास्तविकता, जन कल्याणकारिता, देशहित में उपयोगिता को हृदयंगम कर सके और दिल्ली जन-कल्याणकारी कही जाने वाली सरकारों को निर्देशित करें कि वे आधुनिक विकास के नाम पर होने वाले अपूरणीय सर्वनाश को तत्काल रोकें, मूक, निरीह आदिवासियों का दर्द समझें और उन्हें पुन: सम्मानित जीवन जीने देने के लिए जंगल, जमीन और जल पर उसके परम्परागत और प्राकृतिक अधिकारों को न कुचले। यहाँ इस बात का उल्लेख करना समीचीन होगा कि 'सरिस्का क्षेत्र' के लोगों की पर्यावरण चेतना से ही 'अरावली बचाओ अभियान के अंकुर फूटे। पूरे अरावली क्षेत्र से 2 अक्टूबर 1994 को 14 स्थानों से पदयात्राएँ शुरू हुईं।

अरावली चेतना यात्रा की बैठक का एक दृश्य

'अरावली चेतना यात्रा' का शुभारंभ बापू के जन्मदिवस 2 अक्टूबर (1994) से गुजरात स्थित हिम्मतनगर से शुरू होता है। यह स्थायी दल था जिसमें 51 महिला-पुरुष शामिल थे। 14 अक्टूबर को राजसमन्द में इस स्थायी दल में अन्य स्थानों से चले दल मिल गये। राजस्थान में अन्य दल टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झुंझुनूँ, झालावाड़ और दौसा से चले। ये टोलियाँ

जयपुर और अलवर में मुख्य दल में मिलती गईं।

हरियाणा में खोरी (रेवाड़ी), सोहांसा (भिवानी), दौगड़ा-आहौर (महेन्द्रगढ़), राहुका (गुड़गांव), महम (रोहतक) और मंडाविली (फरीदाबाद) से चली यात्राएँ 19 नवम्बर को सोहना में मुख्य दल से आ मिलीं।

2 अक्टूबर 1994 को हिम्मतनगर (गुजरात) राजेन्द्रसिंह के नेतृत्व में चली यात्रा ने पहले स्थानीय कलोल दुग्ध सहकारी समिति में आमसभा की जिसमें किशोर संत, सिकन्दर जई, नेहरू युवा केन्द्र (हिम्मत नगर) के युवा समन्वयक राजेश तथा डॉ. निरंजन नाथ ने उपस्थितों को अरावली के महत्त्व तथा इसके विनाश से बिगड़ते पर्यावरण संतुलन पर प्रकाश डाला तथा बताया कि किस प्रकार अरावली को पुन: हरा-भरा करने की योजनाओं को सफल बनाने के लिए जन-जागृति आवश्यक है।

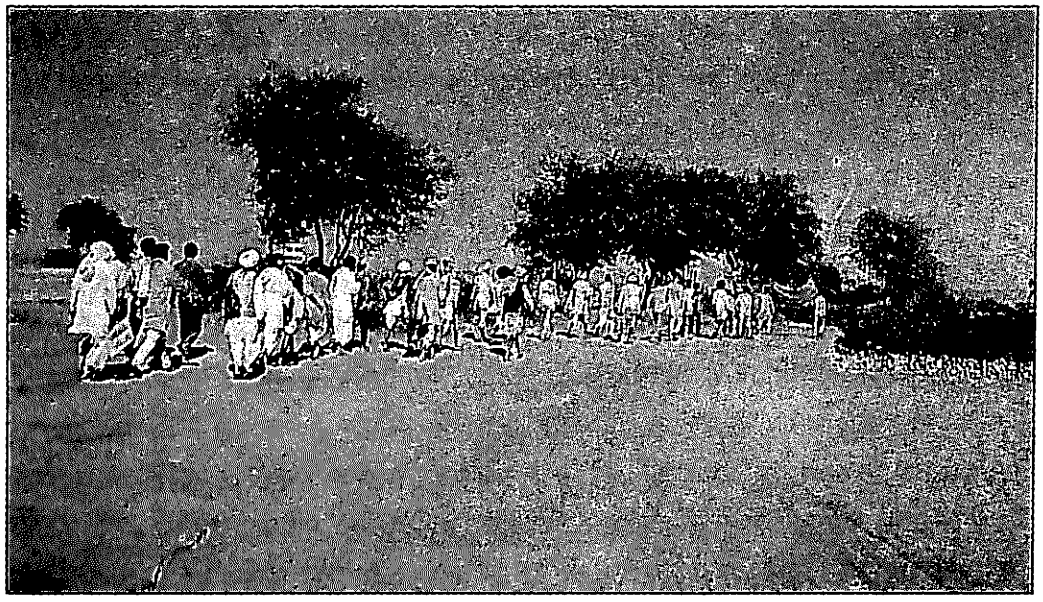

यात्रा कलोल गाँव से निकलने के बाद

दोपहर में रामगढ़ विद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और आम नागरिकों को 'अरावली बचाओ' का सन्देश गुंजाते हुए यात्री दल शाम को **सहयोग कुष्ठ आश्रम राजेन्द्र नगर** पहुंचा। फिर सुनोख के सर्वोदय आश्रम विद्यालय में छात्रों एवं आसपास के गांव वालों की सभा रात को आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए राजेन्द्रसिंह ने कहा कि अरावली पर्वतों में कृष्ण के अनेक मंदिर भिन्न-भिन्न नामों से हैं। आपने कहा कि जिस तरह कृष्ण ने वृंदावन की उपज (घी-मक्खन-दूध) वहीं के निवासियों के लिए रोकने का संघर्ष किया, उसी प्रकार अरावली क्षेत्र के निवासियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपने जीवन को सुखी व स्वावलंबी बनाने के लिए अरावली की उपज एवं यहां के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार वापिस लेने के लिए सतत जागरूक रहें और अहिंसक तरीके से संघर्ष करते रहें। यहीं **दिशा** स्वयंसेवी संस्था के निदेशक मधुसूदन मिस्त्री भी पदयात्रियों से मिले और उनका संदेश लोगों तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया।

उधर अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरुशिखर पर लगभग 300 छात्र-छात्राओं एवं आसपास के गांवों के लोगों ने वहाँ से चलने वाले चेतना दल को नारियल चढ़ाकर व तिलक-वन्दना करके विदाई दी। इस दल का नेतृत्व डॉ. ढाबरिया कर रहे थे। विदाई के पूर्व यहाँ उपस्थित लगभग 250 लोगों ने रैली निकाली। नक्की झील पर डॉ. ढाबरिया, लक्ष्मणसिंह व श्रीरामचन्द्र ने श्रोताओं को 'अरावली बचाओ' अभियान की जानकारी दी तथा बताया कि किस तरह अरावली को हराभरा बनाने में उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन की सुख-सम्पन्नता निहित है। यहीं माउण्ट आबू के उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया।

माउंट आबू से पदयात्रियों ने आबू रोड तलहटी होकर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय में पौधारोपण कर लगभग 400 लोगों को संबोधित किया। इस सभा में 300 से अधिक गरासिया महिलाएँ शामिल हुई थीं। यह पदयात्रा यहाँ से प्रस्थान कर सिरोही, पालड़ी,शिवगंज, सुमेरपुर, सांडेराव, फालना, बड़ी सादड़ी, देसूरी होते हुए 14 अक्टूबर को गोमती चौराहे पहुंची। रास्ते में जगह-जगह बैठकों व सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में लोगों को बताया गया कि अरावली को हरा-

भरा बनाने से न केवल उनका जीवन स्वावलम्बी व सुखी बन सकता है, बल्कि अरावली के इस 18 लाख बंजर क्षेत्र में 18 लाख लोगों को ही रोजगार दिये जा सकते हैं जिसमें वन व चारागाह विकास, जड़ी-बूटियों का विकास, उद्यान स्थापना आदि कार्य सम्मिलित हैं। इससे राज्य की सम्पदा में वृद्धि होने के साथ ही राजस्व आय भी बढ़ेगी और पर्यावरण संतुलन बरकरार रहेगा।

पदयात्रियों का दूसरा दल

4 अक्टूबर को यह यात्रा दल राजस्थान सीमा में स्थित रतनपुरा ग्राम पहुँचा। यहाँ 4 दलों के लोग भी आ मिले। प्रथम दल के नायक गोरधन शर्मा, दूसरे शोध दल के नायक जगदीश गुर्जर, तीसरे दल के नायक कन्हैया गुर्जर तथा चौथे दल के नायक नानकराम ने अपनी यात्राओं के विवरण सुनाये और बताया कि इन क्षेत्रों के लोग अरावली बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए कितने जागरूक व क्रियाशील हैं। अन्त में देवीलाल व्यास ने राजस्थान में पदयात्रा करने के लिए सभी पदयात्रियों का आभार प्रकट किया और उनके अभियान को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। राजस्थान सीमा पर पदयात्रियों को हरी टोपी पहनाकर स्वागत किया।

चेतना रैली डूँगरपुर में

मुख्य यात्रा-दल की प्रतीक्षा में तीसरा दल

अरावली चेतना यात्रा ने 4 अक्टूबर को राजस्थान की सीमा स्थित रतनपुरा ग्राम में प्रवेश किया। वहाँ से यात्रा दल आगे बढ़ा। रास्ते में जो भी गांव पड़े, वहाँ यात्रादल के उत्साही कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी। उन्हें अरावली के महत्त्व को समझाया। अरावली के जंगलों की अवैध कटाई से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी।

इसके बाद दल खजूरी की नाल में पहुँचा। यहाँ भी एक छोटी सी सभा की गई। इस सभा में ग्रामीण जनों ने बड़ी उत्सुकता से अरावली के शोषण की कहानी सुनी। उन्हें आश्चर्य था कि उनके क्षेत्र का इस प्रकार विनाश चुपके-चुपके करके उनके जीवन को तबाह किया जा रहा है। इसके बाद छापी विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ दल ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। यहाँ शिक्षकों एवं छात्रों ने बड़े ध्यान से यात्रा के उद्देश्यों को सुना और संकल्प लिया। वे हर तरह यात्रा के उद्देश्यों को सफल बनाने और अरावली को पुन: हरा-भरा करने में अपना प्रत्येक संभव सहयोग देंगे।

डूंगरपुर में पदयात्रा दल को रैली की तैयारी की सूचना देते हुए डूंगरपुरवासी

दल ने रात्रि विश्राम बिछोली गांव में किया। यहाँ बिछोली गांव तथा छावनी के आसपास के लोगों ने रात की ठंडक के बावजूद यात्रियों का भरपूर स्वागत किया। यहाँ रात को ही एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवीलाल व्यास ने की। सभा में लोगों ने इस बात पर विरोध प्रकट किया कि उद्योग-धंधे लगाने के नाम पर **रीको** लोगों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। साथ ही लोगों ने इस बात पर बल दिया कि गांवाई संगठन को मजबूत किया जायेगा, जिससे उनकी उपजाऊ भूमि को रीको औद्योगिक विकास के नाम से अधिग्रहित न करने पावे और किसानों को अपनी भूमि से बेदखल न होना पड़े।

5 अक्टूबर को यात्रा आगे बढ़ी। यह बड़ा ही उत्साहवर्धक दृश्य था कि जिस गांव में भी यात्रा दल पहुँचता, लोग खुले दिल से स्वागत करते। इस दौरान गांव धमाल और कनवा में दो छोटी-छोटी सभायें आयोजित की गईं और लोगों तक 'अरावली बचाओ' अभियान का सन्देश प्रभावी ढंग से पहुँचाया गया। इसके बाद यात्रा दल मध्याह्न लगभग 11 बजे डूंगरपुर पहुंच गया। यहाँ पर **माडा संस्था** तथा **खादी आश्रम डूंगरपुर** के कार्यकर्ताओं ने यात्रादल के साथ मिलकर नये व पुराने शहर में एक रैली निकाली। खादी आश्रम में शाम को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें पदयात्रियों के साथ शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों, शिक्षकों तथा वन विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। संगोष्ठी में डूंगरपुर में नंगे हुए पहाड़ों को पुन: हरा-भरा करने की चल रही योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। इस संगोष्ठी में वृद्ध स्वाधीनता सेनानी **श्री भूरीचन्द जैन** ने भाव-विभोर होकर कहा कि डूंगरपुर में वनों की बरबादी को देखकर हृदय भर आता है। मुझे हार्दिक क्लेश होता है जब मैं यह देखता हूँ कि आजादी के बाद विधायक और मंत्री रहने के बावजूद मैं जंगलों को बचा नहीं सका। इस कारण सबसे अधिक जिम्मेदारी तो मुझ पर आती है। सच पूछिए तो जंगलों के विनाश में मैं अपना हाथ भी मानता हूँ,पर मैं विवश था। किंकर्त्तव्यविमूढ़-सा

सब कुछ देखता रहा और हमारे जंगल कटते रहे। आपने भाव-विह्वल होकर कहा कि हमने जो गलती की, उसे सुधारने के लिए आप लोग घर का सुख छोड़कर जंगल-जंगल भटक रहे हैं। अब तो आप जन-जन तक यह संदेश हमारी ओर से भी पहुँचाइए कि क्षणिक प्रलोभन में आकर लोगों ने जिस तरह जंगलों का विनाश किया, उसके दूने उत्साह से इन जंगलों को पुन: हरा-भरा करने के काम में जुट जाएं। डूंगरपुर नगरपालिका के अध्यक्ष **शंकरसिंह सोलंकी** ने भी यात्रा दल का हृदय से स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे अभियानों की आज महती आवश्यकता है और दल का उद्देश्य सराहनीय है। इसी गोष्ठी में वन-विभाग के अधिकारियों ने जिले में चल रही हरियाली परियोजनाओं की जानकारी दी तथा संकल्प प्रकट किया कि वे इस परियोजना को शत-प्रतिशत सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संगोष्ठी के अन्त में **शिवचरण गोयनका** ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

उदयपुर जिले में चेतना रैली

उदयपुर के गाँवों में जाता दल

डूंगरपुर में रात्रि-विश्राम के पश्चात् 6 अक्टूबर को प्रात: ही दल खैरवाड़ा के लिए रवाना हो गया। रास्ते में जगह-जगह ग्रामीणों ने दल का स्वागत किया। मध्याह्न के लगभग यात्रादल उदयपुर के मुख्यमार्ग पर आ पहुँचा जहाँ उदयपुर की संस्था **सेवामंदिर** तथा **राजस्थान वालण्टियर सोसायटी** के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में अन्य लोगों के साथ यात्रादल का स्वागत किया। उदयपुर जिले में प्रवेश के बाद अरावली चेतना पदयात्रियों ने पहली सभा का आयोजन खैरवाड़ा में किया। यहाँ सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, छात्रों तथा विद्यालय के प्राचार्य **सिकन्दर उस्मान** के साथ ही शिवचरण गोयनका, प्रमिला व्यास तथा नन्दकिशोर जैसे गणमान्य नागरिकों ने अरावली को विकृत करके लोगों के जनजीवन को अंधकारमय करने पर गहरी चिंता जताई। **राजस्थान वालण्टियर सोसायटी** की खैरवाड़ा शाखा के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साहपूर्वक ऐलान किया कि 'अरावली बचाओ' अभियान वस्तुत: इस क्षेत्र के गरीबों के उत्थान का अभियान है। जल, जंगल और जमीन पर अपना परम्परागत अधिकार रखने और इनका प्रबंध ग्रामीणों के हाथ में देने का यह आन्दोलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्र के गरीब, गिरिजन और आदिवासी भी इससे जुड़ें। इन लोगों में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जागृति और आत्मविश्वास पैदा करने में 'अरावली बचाओ अभियान' की यह यात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

रात्रि पड़ाव खैरवाड़ा में डालने के पश्चात् यात्रा अगले दिन कागदार तथा ऋषभदेव होती हुई पिपली पहुँची। यहाँ के विद्यालय में एक सभा रखी गई जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। लोगों के उत्साह को देखते हुए पदयात्रियों के हौसले भी बुलन्द हो रहे थे। इसके बाद **प्रसाद गांव** में क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय में यात्री रुके। यहाँ वनकर्मियों व ग्रामवासियों को पदयात्रा के बारे में जानकारी दी गई तथा उनको बताया गया कि किस तरह चन्द स्वार्थी लोगों

ने अरावली की हरियाली को बरबाद कर नंगी- तपती चट्टानों के रूप में बदल दिया है। वनकर्मियों ने यहाँ यात्रादल का अच्छा स्वागत किया।

अगले दिन **टी.डी.** के आदिवासी छात्रावास में एक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ प्रबुद्ध नागरिकों ने आवाज बुलन्द की कि जावर माइन्स से सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए लोक संगठन को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसी सभा में अरावली वाहिनी का गठन हुआ और संकल्प लिया गया कि खनन से उत्पन्न प्रदूषण से जन-जीवन को होने वाली क्षति से बचाया जायेगा तथा अरावली को पुन: हरा-भरा किया जायेगा।

यहाँ से पदयात्री शाम को बारापाल रेस्ट हाउस पहुँच गये। यहां खजूरी ग्राम विकास समिति के बंशीलाल ने आसपास के लोगों तथा अपनी संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा दल का स्वागत किया तथा एक सभा का आयोजन किया। सभा में इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई कि इस क्षेत्र के जंगल दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। अकाल अपना विकराल रूप लेता जा रहा है और आज के युग में भी जहाँ आवागमन के प्रचुर साधन उपलब्ध हैं, इस क्षेत्र में भुखमरी की समस्या मुँह बाये खड़ी है। ग्रामीणों ने इस बात पर रोष प्रकट किया कि जल-जंगल-जमीन पर से उनका परम्परागत हक छीन कर उन्हें मौत के मुँह में धकेला जा रहा है। यहाँ भी पहाड़ों को पुन: हरा करने के लिए अरावली वाहिनी का गठन किया गया।

9 अक्टूबर को पदयात्रा **काया प्रशिक्षण केन्द्र** पहुँची, जहाँ पहले से ही आसपास के गाँवों के लोग जमा हुए थे। सभा में इस बात पर विशेष रूप से चर्चा हुई कि ग्रामसभा संगठन बनाकर गांव के जंगलों से होने वाली पेड़ों की कटाई को रोके तथा ऐसी व्यवस्था करे कि खेत में बरसने वाला पानी खेत में ही रुके, या उसको रोकने के लिए गाँव में ही कोई जलाशय बनाया जाय। तभी गांव को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। साथ ही इस बात पर गहरा क्षोभ प्रकट किया गया कि गांव के संसाधनों की लूट मची है। यह सब विनाशकारी कार्य तभी रोके जा सकते हैं जब गांव के लोग संगठित होकर अपने विकास के कार्य करें- स्वयं को किसी अन्य की सहायता का मुखापेक्षी न रखें।

यहाँ आई परिचारिकाओं, साथिनों आदि की सभा में यात्रादल के अगुवा राजेन्द्र सिंह ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारी संस्कृति में मानव का प्रकृति से अटूट और निरन्तर का रिश्ता रहा है। इसे निभाने में महिलाओं का स्थान अग्रणी रहा है। यह आज भी देखा जा सकता है। महिलाओं द्वारा आरम्भ की गई यह व्यवस्था ही थी कि आज भी पेड़-पौधों की पूजा होती है, तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, चींटियों को आटा दिया जाता है, पक्षियों को चुग्गा दिया जाता है। यह सब बातें इस बात का इजहार करती हैं कि मानव-जीवन किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा रहा है और इसमें महिलाओं की भूमिका कितनी अग्रणी रही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की यह निराली भावना हमारी संस्कृति का अंग रही है और आज आवश्यकता है इस परम्परा को पुनर्जीवित करने की, साथ ही इसे और अधिक पुष्ट बनाने की।

उदयपुर शहर में रैली का रूप लेता पदयात्रा दल

10 अक्टूबर को उदयपुर की सभी छोटी-बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं की ओर से **गोरधन विलास** पर पदयात्रियों का सोत्साह स्वागत किया गया। यहाँ संस्थाओं से जुड़े आदिवासी, वनवासी तथा बुद्धिजीवी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसके बाद सबने पूरे उदयपुर नगर में गोरधन विलास से मेहता पार्क तक एक विशाल रैली निकाली। मेहता पार्क में यह रैली एक सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। सभा की अध्यक्षता जाने-माने समाजसेवी **जगत मेहता** ने की। जनसभा को यहाँ के वन-संरक्षक श्री भाटिया, उपसंरक्षक श्री शाह, अन्य अधिकारियों, किशोर संत, सिकन्दर भाई, मदनलाल झंवर, शान्तिलाल भंडारी, हीरालाल शर्मा, गणेश पुरोहित ने संबोधित किया। उपस्थित आदिवासियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि अरावली की हरियाली को पुनर्जीवित करना तथा खनन से होने वाले प्रदूषण से क्षेत्र की रक्षा करना सबका पुनीत कर्त्तव्य है। तभी इस क्षेत्र का जन-जीवन सुखमय हो सकता है, स्वावलम्बी बन सकता है।

पदयात्रियों की ओर से बोलते हुए राजेन्द्रसिंह ने कहा कि वर्तमान शासन ने विकास के नाम पर हमारी सामलाती जीवन शैली ही बदल दी है जिससे पहाड़, जंगल, गोचर,जल और जमीन पर से यहाँ के रहने वाले आदिवासियों का हक छीन लिया गया है। आपने कहा कि अरावली हमारी जीवन रेखा है। इसका पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाये रखने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज इसमें तेजी से बिगाड़ हो रहा है। इस विनाश-लीला को बचाने के लिए ही भारत सरकार ने 7 मई 1992 को अन्तिम अधिसूचना जारी की थी जिसे रद्द कराने के लिए कुछ निहित स्वार्थ एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपने जोर देकर कहा कि अरावली पर्वतमाला को पुन: हरा-भरा करने के लिए जो खर्च हो रहा है, वह खर्च असल में नये भवनों के निर्माण, नई-नई गाड़ियों की खरीद, यंत्रों की खरीद और किन्हीं विशेष वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, अरावली को हरा-भरा करने के लिए नहीं। विदेशों से प्राप्त सभी कर्ज और अनुदान लिये तो जा रहे हैं कि अरावली को फिर से हरा-भरा बनाया जाये ताकि पर्यावरण संतुलन ठीक हो सके, लेकिन इसका लाभ मिल रहा है कुछ सुविधाभोगी लोगों को। अरावली के आदिवासी-वनवासी तो उजड़ते जा रहे हैं। अगर सचमुच सरकार की नीति अरावली को बचाने की है तो खनन, वृक्ष कटाई से अरावली के जंगल 66 प्रतिशत से घटकर छह प्रतिशत कैसे रह गये हैं ? आदिवासियों से वन-उपज-संग्रह करने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है ?

आपने कहा कि आप सबको यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि जंगल से संबंधित स्थायी रोजगार समाप्त करके खनन जैसी अस्थायी और अधिकतर गैर-कानूनी गतिविधियों में शोषण करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ? जंगलात विभाग की भूमि पर अवैध खनन कौन लोग करवा रहे हैं ?

आपने कहा कि समय आ गया है जब जनता को सचेत, सावधान और जागरूक होना पड़ेगा। एकजुट होकर अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाना होगा। इन सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक स्तर के चुनाव में आप उसी व्यक्ति को ही जिताएं जो आपके हित में काम करे, अरावली को बचाने का बीड़ा उठाये। उन लोगों से सावधान रहें जो विकास के नाम पर अरावली और उसके जन-जीवन के विनाश पर तुले हैं।

अगले दिन पुन: उदयपुर शहर में प्रभातफेरी निकाली गई। दिन में **आस्था** संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ तथा तय किया गया कि इस क्षेत्र के लोग 2-3 नवम्बर को जयपुर में पुन: पदयात्रियों के साथ मिलें। इसके अगले दिन यहां के बाल विद्यालय में एक सभा की गई। सभा में शिक्षकों तथा छात्रों ने संकल्प लिया कि 'अरावली चेतना यात्रा' की स्मृति में हर व्यक्ति 5-5 पौधे लगाकर अरावली को पुन: हरा-भरा करने के अभियान में सहयोग देगा।

पदयात्रियों ने 12 अक्टूबर तक अपना पड़ाव उदयपुर में रखा। इस दौरान उन्होंने नगर के आसपास के लोगों से सम्पर्क किया तथा उन तक 'अरावली बचाओ' यात्रा का सन्देश पहुँचाया और इस अभियान को सफल बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उदयपुर पड़ाव के दौरान पदयात्री जम्मूरी की नाल में **कालूराम पोरवाल** से मिलकर भाव-विह्वल हो उठे। श्री पोरवाल ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अपना खनन-कार्य बन्द करके अब पौधों का व्यवसाय करने लगे हैं। पदयात्री गौ-सेवा सदन कड़िया भी गये, लोसिंग गांव के लोगों में चेतना भरी। सबने घटते पानी, घटती खेती, जमीन और घटते जंगल पर गहरी चिन्ता जताई।

यहीं पर **मेधा पाटकर** ने रात को पदयात्रियों से वार्ता की। उन्होंने गुजरात से आये पदयात्रियों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के लोगों को भी समझना चाहिए कि यदि अरावली पर्वत पहले जैसा हरा-भरा नहीं हुआ तो गुजरात के भी कई जिलों में आने वाले कुछ वर्षों में ही पानी मिलना भी कठिन हो जायेगा। सुश्री मेधा ने अरावली में हरियाली लाने की सरकारी योजनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार हरियाली के नाम पर क्षेत्र को उजाड़ रही है। आपने कहा कि विकास के नाम पर कहीं भी कोई योजना बनती है तो उसमें से विनाश के अंकुर पहले से ही फूट निकलते हैं। ऐसी ही योजनाओं ने बड़ी संख्या में लोगों को उजाड़कर, उन्हें बेघर कर, चन्द लोगों को लाभ पहुँचाया है। आपने सबको सावधान किया कि इस 'विनाश के विकास' को तुरन्त रोककर समग्र विकास की प्रक्रिया आरम्भ करनी होगी।

राजसमन्द जिले में चेतना रैली

राजसमन्द जिले में प्रवेश के पूर्व रास्ते में विश्राम के साथ बातचीत

उदयपुर जिले में सघन यात्राएँ कर पदयात्रियों ने हल्दीघाटी होकर राजसमन्द जिले में प्रवेश किया। हल्दीघाटी में **सजीव सेवा समिति** के शान्तिलाल भंडारी, राजसमन्द जिले के उपवन संरक्षक श्री वर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री शक्तावत तथा उदयपुर के हुकमराज मेहता व कवि माधवजी दरक ने यात्रादल का स्वागत कर एक सभा का आयोजन किया। यहाँ वक्ताओं ने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र की खानों से पर्यावरण बिगड़ने के साथ ही यहाँ के जल-जंगल-जमीन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। यहाँ से यात्रादल **खमनोर** पहुँचा। खमनोर से यात्रा दल **नाथद्वारा** पहुँचा जहाँ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया तथा छात्रों, शिक्षकों एवं नागरिकों को यात्रा के उद्देश्यों तथा अरावली को हरा-भरा बनाने से उस क्षेत्र के जनजीवन की सम्पन्नता का उल्लेख किया गया।

राजसमन्द में वहाँ के जिलाधीश ने पदयात्रियों का स्वागत करते हुए इस अभियान को प्रशासन का पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। गुरुशिखर से चले पदयात्री यहीं पर मुख्य दल से मिले, वैसे कार्यक्रम के अनुसार उन्हें गोमती चौराहे पर मुख्य दल से मिलना था। गुरुशिखर से चली पदयात्रा का नेतृत्व प्रोफेसर एस.एस. ढाबरिया कर रहे थे। सुबह कांकरोली में द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद दल बिनोला पहुंचा। अगले दिन रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों में जागृति भरते हुए दल सरदारगढ़ पहुँचा जहाँ कुछ खान-मालिकों से भी वार्ता हुई। ये खान मालिक इस बात पर तुले मिले कि खानों को बंद करने से विकास कार्य बन्द हो जायेंगे। लाख समझाने पर भी जब खान मालिक अपनी जिद पर अड़े रहे तो पत्थर से सिर टकराने को व्यर्थ मान यात्रा दल आगे बढ़ा और **आमेट** पहुँचा। वहाँ लोगों ने पदयात्रियों की बातें गंभीरता से सुनीं। यहाँ भी एक जनसभा का आयोजन किया गया।

राजसमन्द जिले में पदयात्रियों ने देवगढ़ में विशिष्ट अधिकारियों व ग्राम के लोगों की सभा में 'अरावली बचाओ' अभियान को शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित करने तथा इसे सफल बनाने की अपील की जिसका असर लोगों पर गहरा पड़ा और उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। तत्पश्चात् लोसानी ग्राम, सांगावास, ठेकड़िया, देव डूंगरी, सोहनगढ़, भीम और अस्सा खेड़ा पहुंचा। इन दिनों कई ग्राम संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं के लोगों ने यात्रा दल के उद्देश्य की प्रशंसा की और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। यात्रा दल को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि **सोहनगढ़ में महिला विकास तथा अनुसूचित समिति ने जंगल बचाने और जंगल लगाने का सराहनीय कार्य किया है** और इस कार्य में वे जुटी हैं। राजसमन्द की यात्राओं के दौरान राजेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि हमारा विश्वास राजनेताओं से उठ गया है और इसीलिए हम जनता और स्वयंसेवी संस्थाओं को जागृत करने निकले हैं कि उनके सहयोग, सक्रियता और अदम्य उत्साह से ही 'अरावली बचाओ' अभियान सफल हो सकता है।

लासानी गांव में यात्री दल से जुड़ गये प्रसार अधिकारियों ने यात्रियों के महान् संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि यह यात्रा लोगों में संगठन की भावना पैदा करके पहाड़ों को पुन: हरा-भरा करने की ऊर्जा पैदा कर रही है। यही कारण है कि सरकार भी इस पदयात्रा को अपना सहयोग दे रही है।

यात्रा दल आगे बढ़ता रहा। ठेकड़ियावास से आगे राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक **पुष्पेन्द्रसिंह चौहान** ने सबका स्वागत किया तथा पदयात्रियों को आश्वस्त किया कि अरावली को हरा-भरा बनाने में वन-विभाग पूरा सहयोग देगा। रात्रि में सांगावास में एक सभा का आयोजन किया गया जिसे शान्तिलाल भंडारी, गोरधन शर्मा, जगदीश गुर्जर, नानकराम गुर्जर , शंकरसिंह, कन्हैयालाल गुर्जर तथा निखिल डे ने संबोधित कर अरावली को पुन: हरा-भरा बनाने से जनजीवन की सुख-सम्पन्नता की बहाली का उल्लेख किया।

भीम में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने पदयात्रियों का स्वागत किया तथा उनके साथ नगर में निकाली गई रैली में शरीक रहे। इस रैली में भीम के शिक्षकों, छात्रों के साथ ही प्रबुद्ध नागरिकों तथा उप जिलाधीश **श्यामसिंह पुरोहित** ने भी भाग लिया। एक सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें **सजीव सेवा समिति** के शान्तिलाल भंडारी, प्रोफेसर विजय नारायण तथा कुछ ग्रामवासियों ने भाग लिया।

अगले दिन अरावली चेतना यात्रा भीम में प्रभातफेरी निकालने के बाद अजमेर जिले की ओर बढ़ी। भीम के बाद जस्सा खेड़ा गांव में इस जिले की अन्तिम सभा हुई जिसमें शंकरसिंह, हंसस्वरूप, सुरेन्द्रसिंह ने ग्रामीणों को पदयात्रा का उद्देश्य बताया। कालिदास ने अरावली गान गाकर राजसमन्द जिले का अन्तिम कार्यक्रम सम्पन्न किया।

अजमेर जिले में चेतना रैली

भीम होते हुए यात्रा दल ने 20 अक्टूबर को अजमेर जिले में प्रवेश किया । इस जिले में यात्रा दल ने 9 दिनों तक ग्राम-ग्राम, ढाणी-ढाणी पहुँचकर 'अरावली बचाओ' अभियान की जागृति फैलाई। इस जिले में प्रवेश के पहले पदयात्री हिम्मतनगर (गुजरात) से होकर सिरोही, पाली, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद आदि जिलों के लगभग 3000 गांवों से सम्पर्क साध चुके थे।

अजमेर जिले में पदयात्रियों ने तारागढ़, जवाजा, सूरजपुरा, मंगरामेवाड़,नाहपुरा, कालिंजर, रेखड़ा, ब्यावर, नुन्द्री महेन्द्रा, ब्यावर खास, सरवा, मांगलियावास, पीसांगन,जेठाता, पुष्कर, समरथपुरा, भगवानपुरा, मोतीसर, बूढ़ा पुष्कर, दोकरा गांव, चाचियावास, अरह का मंगरी,कुचील, ब्रजपुरा, किशनगढ़, हमीर सागर, सांवतसर, फलोदा, तिलोनिया, नलूगांव, मंडोतिया आदि प्रमुख गांवों एवं कस्बों में सभायें कीं तथा रास्ते में पड़ने वाले कई अन्य गांवों के लोगों तक अपना सन्देश पहुँचाया। जहाँ-जहाँ रात्रि पड़ाव डाला गया,वहाँ-वहाँ उस गांव तथा निकटवर्ती गांवों के प्रबुद्ध जनों एवं संगठनों के लोगों के साथ विचार-विमर्श एवं गोष्ठियाँ की गईं, जिससे यात्रियों के चले जाने के पश्चात् भी उनके सन्देश गूंजते रहे और लोगों में अरावली को पुन: हरा-भरा करने की भावना प्रबल होती रहे। अजमेर में जहाँ-जहाँ भी पदयात्री गये, वहाँ के स्थानीय लोगों एवं संस्थाओं ने पदयात्रियों का दिल खोलकर स्वागत किया और उनके कार्य को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प दुहराया।

अजमेर जिले के **जवाजा** में एक आमसभा का आयोजन किया गया। समय रात का था। पड़ाव यहीं डाला गया था। यहाँ **समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया** की संचार टीम ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। **मजदूर-किसान शक्ति संगठन** के शंकरसिंह, निखिल डे, **समाज कार्य अनुसंधान केन्द्र** जवाजा के हंसस्वरूप व सत्यनारायण ने अपने मगरों व दांतियों को हरा-भरा रखने के लिए लोगों को उत्साहित किया। अंत में सभी ने पदयात्रा की याद में खेत का जल खेत में रोकने, जंगल बचाने तथा पेड़ लगाने का संकल्प लिया।

अजमेर जिले के गांवों से निकलता पदयात्रा दल

22 अक्टूबर को **ब्यावर** शहर में शानदार रैली निकाली गई। यहाँ पर मुख्यत: पर्यावरण बिगड़ने से मजदूरों की हो रही दुर्दशा को सुधारने के लिए ट्रेड यूनियनों का प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अभियान चलाने के लिए आह्वान किया गया। **ब्यावर खास** में **शंकरलाल तुसावटरा** ने यह खुशखबरी सुनाई कि वे प्रतिवर्ष 300 पौधे लगाते हैं। रास्ते में जगह-जगह नुक्कड़ नाटक करते और अरावली-गान गाते पदयात्री मांगलियावास, पीसांगन होते हुए आगे बढ़ते गये। रास्ते में समाजसेवकों व विकास अधिकारियों ने सबका आभार प्रकट किया कि उन्होंने देशसेवा का एक महान कार्य हाथ में लिया है। पीसांगन से यात्रीदल **पुष्कर** पहुँचा। भगवानपुरा में पूरे गांव में रैली निकाली। लोगों को पहाड़ों को हरा-भरा रखने के लिए उत्साहित व प्रेरित किया ग़या। पुष्कर में शाम को विशाल रैली निकाली गई। यहाँ लूनी गैप को रोकने के लिए वृक्षारोपण एवं जंगल-संरक्षण का संकल्प लोगों ने लिया। लोगों को बताया गया यदि लूनी गैप को नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब बढ़ते रेगिस्तान की रेत से पुष्कर झील ही पट जायेगी।

पुष्कर में पदयात्रियों को एक कटु अनुभव हुआ। यहाँ के पोंगापंथी पंडों ने विरोध में आवाज बुलन्द की कि तुम लोगों ने ही जंगल बिगाड़े हैं। अब इस पवित्र झील को बरबाद करने आये हो। तुम्हें पेड़ लगाने हैं तो जाकर अपने घर पेड़ लगाओ।

यहाँ पदयात्रियों ने अनुभव किया कि पर्यावरण-चेतना के साथ ही लोगों को यह अभी अहसास कराना पड़ेगा कि बिगड़ते पर्यावरण के कारण उनके धार्मिक स्थलों को भी किस तरह नुकसान पहुँच रहा है। **गांधी पीस फाउण्डेशन** के बाबूलाल शर्मा ने अपने सारगर्भित भाषण से अरावली के नंगे होने से जन-जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को स्पष्ट किया। अरड़का निवासी ब्रजराज सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 42-43 के तहत ऐसे पेड़ लगाने का प्रावधान है जो किसी के काम के नहीं हैं। इस कारण आवश्यक हो जाता है कि सरकार पर दबाव डालकर इस एक्ट में संशोधन कराया जाय। यात्रा कर रहे कालिदास ने बताया कि भुलावे में आकर आदिवासियों ने ही 30 वर्ष पहले जंगलों का सत्यानाश शुरू कर

दिया। सारी वन सम्पदा रईसों को बेच दी। अत: आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में अरावली के ह्रास से होने वाले दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति भी सचेत किया जाये। तिलोनिया सेण्टर की **रतन बहिन** ने कहा कि एक जमाना वह भी था कि एक पेड़ पर चढ़कर पांच कोस तक पेड़ों पर चढ़-चढ़ कर ही चले जाते थे और आज दांत साफ करने को दातुन का मिलना भी दुष्कर हो रहा है। यहाँ गांव वालों को संकल्प दिलाया गया कि कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और प्रत्येक व्यक्ति नये-नये पौधे लगायेगा।

कानारामजी ने एक सुझाव दिया कि तरुण भारत संघ की तरह सब पेड़ों को राखी बांधकर उनसे आत्मीय संबंध जोड़ना चाहिए और उनकी सुरक्षा का दायित्व लेना चाहिए। यहाँ लोगों को संकल्प दिलाया गया कि गांव का पानी गांव में ही रहने देने, वृक्षों को बचाने, सामलात देह पर अवैध कब्जा न करने देने व गोचर भूमि को बचाने का वे भरसक प्रयत्न करेंगे तथा नेताओं और अधिकारियों पर भी इस बात के लिए पुरजोर दबाव डालेंगे। रात्रि में तिलोनिया गाँव में सभा में अरुणा राय ने यात्रादल का स्वागत किया। गांववासियों को संघठित होकर अरावली को हरा-भरा बनाने का आह्वान किया। अगले दिन श्री बंकर राय ने यात्रा के साथ चलकर गाँव-गाँव जाकर हरियाली हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित किया।

जयपुर जिले में चेतना रैली

जयपुर जिले में 28 अक्टूबर को दोपहर में प्रवेश के बाद यात्रा दल गांवकलां, व दांतरी गांव पहुँचा, जहाँ **प्रयत्न संस्थान, सोलावता** से चले यात्री मुख्य यात्रादल से आकर मिले। इसके बाद सभी साथी **गैया की ढाणी** होते हुए शाम को **लापोड़िया ग्राम** पहुँचे। तिलोनिया में गांव वालों ने गांव का पानी गांव में ही रोकने, एक पेड़ काटने पर 5 पेड़ लगाने, गोचर में पेड़ काटने वालों पर प्रति पेड़ 1100 रु. जुर्माना करने का निर्णय लिया। लापोड़िया में **प्रयत्न** के समन्वयक **लक्ष्मीनारायण** ने कहा कि बड़ और पीपल के पेड़ सबसे अधिक आक्सीजन छोड़ते हैं, जो मानव-जीवन के लिए अत्यावश्यक है। लापोड़िया में लक्ष्मणसिंह ने भी सभा को संबोधित करते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन का तादातम्य बनाये रखने की अपील की।

लापोड़िया गाँव में पदयात्रा दल की तरफ से ग्रामवासियों व बच्चों को सम्बोधित करते हुए राजेन्द्रसिंह

लापोड़िया से यात्रा सुनाड़िया पहुँची। यहाँ अनेक यात्रियों ने प्रकृति के संरक्षण का संकल्प दुहराया। यात्रा के संयोजक राजेन्द्रसिंह ने कहा कि अरावली के कुल क्षेत्रफल 43315 वर्गमीटर पर आजादी के बाद 60 प्रतिशत जंगल था जो 40 साल बाद छह प्रतिशत ही रह गया है। इससे जंगल ही नहीं, जंगली जीव भी लुप्त हो गये हैं और यदि यह क्रम जारी रहा तो एक दिन इस क्षेत्र से मानव जाति के लुप्त हो जाने का खतरा भी बढ़ जायेगा।

अंबेडकर सर्किल पर रैली को रोकती पुलिस

सुनाड़िया से चलकर नन्दा की ढाणी होते हुए यात्रा दल सेवागांव पहुँचा। यहाँ राजेन्द्रसिंह ने कहा कि अरावली यात्रा का सन्देश हमने अब तक लगभग लाखों लोगों तक पहुँचाया है और लोगों से कहा है, कि जब तक लोग सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, गांवों का समुचित एवं समग्र विकास नहीं हो पायेगा। जगदीश गुर्जर ने कहा कि हमारे गांव के लोगों ने संगठन बनाकर जल-जंगल-जमीन बचाने का काम किया जिसके सुन्दर परिणाम निकले। गिरदावर मोहनसिंह ने कहा कि प्रकृति न तो किसी की दुश्मन है, न शत्रु; किन्तु इसका दोहन करने के परिणाम बुरे होते हैं। आपने सुबूल का पेड़ वृक्षारोपण योजना के तहत लगाने को व्यर्थ बताया।

सेवा गांव से चलकर यात्रा दल बीच के कई गांवों से होते हुए शाम को मौजमाबाद पहुंचा। यहाँ पर तहसीलदार ने कहा कि आज भी चारागाह गांव का ही है। एक पशु के लिए आधा बीघा जमीन आज भी सुरक्षित है। अधिकतर जंगल स्वार्थी लोगों ने काटे हैं। सरकार की पकड़ असरदार लोगों पर ढीली है और विभागवाले भी ढीले हैं। यही कारण है कि जंगल कटते जाते हैं।

पाँचबत्ती, जयपुर में अरावली चेतना पदयात्रा दल

इसके बाद यात्रा दल गांव के लोगों में अरावली बचाओ का सन्देश गुंजाते हुए शाम को बगरू पहुंचा। बगरू से आसपास के गांवों में अरावली बचाओ का शंख फूंकते यात्रा दल भांकरोटा पहुंचा। भांकरोटा में एक सभा के बाद यात्री रास्ते के गांवों से होते हुए शाम को हीरापुरा पहुंचे। हीरापुरा में आसपास से आये यात्रियों ने परस्पर परिचय प्राप्त किया। यहाँ से सोढाला होते हुए यात्रा दल सचिवालय के पास अम्बेडकर सर्किल पहुँचा। यहाँ से आगे बढ़ने में पुलिस ने बाधा डाली। अन्त में पुलिस ने कहा कि लोग सचिवालय के सामने से बिना नारेबाजी किये जा सकते हैं। वहाँ से सुन्दर रैली का रूप धारण करके शहर में होते हुए यह यात्रा दल पांचबत्ती, एम.आई. रोड, अजमेरी गेट, टोंक पुलिया होते हुए बजाज नगर स्थित **संस्था संघ** में मध्याह्न 3 बजे पहुँचा। अब तक यात्रा दल के साथियों की संख्या लगभग 650 हो गई थी।

संस्था संघ में शाहपुरा से आये यात्री भी मिल गये। यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध गांधीवादी **सिद्धराज ढड्ढा** ने की। इस सभा को जे.वी. के. हूजा, वी.के. हूजा, विष्णु शर्मा, श्री छितरमल गोयल, राम बल्लभ अग्रवाल, लक्ष्मीचन्द भण्डारी तथा **ज्ञानस्वरूप चौधरी** ने भी संबोधित किया।

यहाँ एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रा दल के साथियों ने अब तक के अनुभव सुनाये। संस्था संघ में आसपास के गांवों से आये लोगों ने भी शिरकत की। सिद्धराज जी ढड्ढा ने 'अरावली वाहिनी' के गठन पर जोर दिया।

आपने कहा कि 'अरावली वाहिनी' के गठन की रूपरेखा वे ही अच्छी तरह बना सकते हैं जो उस क्षेत्र के निवासी हैं। अरावली वाहिनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार तय किये गये :

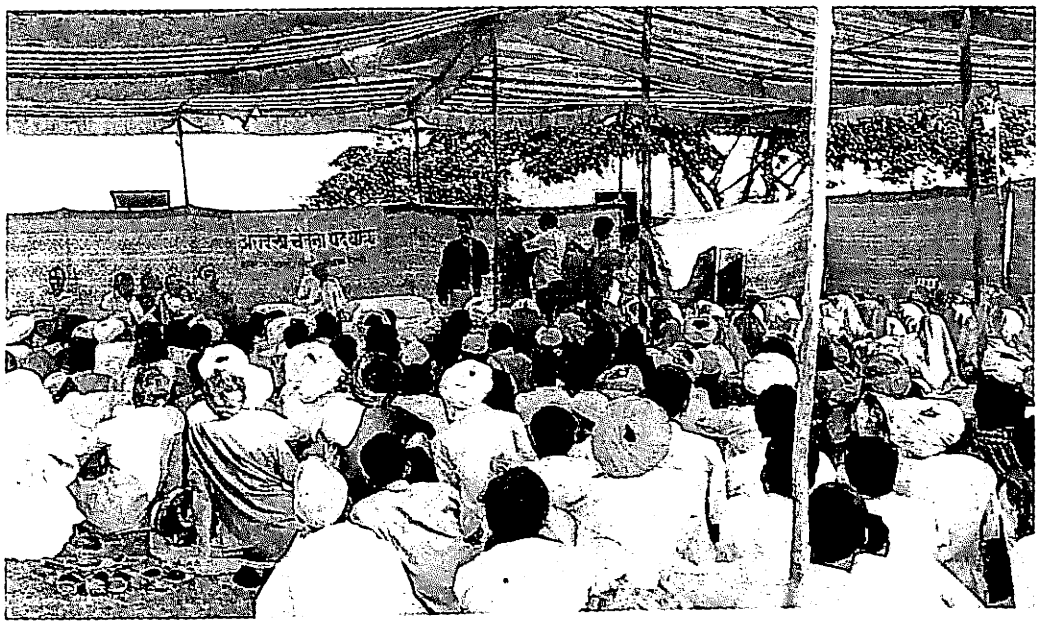

जयपुर में पदयात्रियों का सम्मान करते हुए एम.एल. झंवर

1. अरावली क्षेत्र के सामलात देह के खनन, वन-कटाई पर निगरानी रखना और इससे होने वाले ह्रास को रोकना।
2. अरावली के उजड़े हिस्से को पुन: हरा-भरा करना तथा लोक जागरण और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार प्रदान करना।
3. रचनात्मक कार्य के रूप में पेड़, जल, जंगल को संरक्षित रखना।
4. राष्ट्रीय अभयारण्य और बाघ परियोजना के अधिकारियों व कर्मचारियों पर वहाँ के स्थानीय लोगों एवं संस्थाओं का दबाव बनाये रखना जिससे और अधिक विनाश न होने पाये।
5. जंगली जीवों, जंगल और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए लोकशक्ति को बलवती बनाना।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल-जंगल आदि को संबंधित गांवों को ही सौंपना।

7. शहरी समाज को अरावली-सम्पदा की जानकारी देना तथा इसके बेतहाशा दोहन से होने वाली हानि से परिचित कराना।

8. लोगों को संगठित करना तथा जंगल, जल, जमीन को मर्यादित उपयोग हेतु गांव वालों को ही देना तथा सामलाती उपयोग व्यवस्था कायम करना।

यहीं पर अरावली वाहिनी संगठन के स्वरूप और कार्य का भी निर्धारण किया गया। संगठन के स्वरूप के बारे में तय हुआ कि (1) विभिन्न गांवों की अपनी-अपनी समितियाँ कार्य-संचालन करेंगी, (2) जिलास्तर की समितियों का गठन होगा, (3) मार्गदर्शन के लिए एक केन्द्रीय समिति गठित की जायेगी तथा (4) कार्य करने व कार्य निर्धारित करने के लिए अलग-अलग समितियाँ बनेंगी।

अरावली वाहिनी के कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित किये गये। (1) वातावरण निर्माण जिसमें जल, जंगल, जमीन के उपयोग को स्थानीय जनहित के सन्दर्भ में समझाना, (2) सामलात देह के संवर्धन हेतु कार्य करना, (3) गोबर गैस (कम्पोस्ट) आदि की प्रशिक्षण व्यवस्था करना तथा (4) सुलभ एवं देशी चिकित्सा लागू करना।

संस्था के सचिव **राम बल्लभ जी** ने अवैध खनन को तुरंत प्रभाव से बन्द करने पर जोर दिया। आपने कहा कि बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में न भेजकर गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहिए, गांव से भुखमरी मिटाने के लिए दत्तचित्त होकर ठोस कार्य किया जाना चाहिए तथा सभी तरह की नशाबंदी के भरसक प्रयास करने चाहिए व गौहत्या को अविलम्ब बंद करवाना चाहिए। खादी का विकास करना चाहिए तथा छुआछूत को मिटाना चाहिए।

एम. एल. झंवर, भूपेन्द्र अहूजा व रवि अहूजा ने अभियान की सफलता से क्षेत्रीय लोगों के विकास को स्पष्ट किया। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे राजेन्द्रसिंह ने अलवर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि तरुण भारत संघ ने 22 दिनों तक अहिंसक सत्याग्रह करके अलवर क्षेत्र में चल रही 262 अवैध खानों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन्द कराया।

जयपुर में यात्रा दल ने अनेक स्कूलों में भी सभाएँ कीं तथा विद्यार्थियों की हरियाली लाने में भूमिका पर चर्चा के साथ-साथ अरावली बचाओ आन्दोलन पर प्रकाश डाला। बीछीवाड़ा (डूंगरपुर) के छापीगांव में बिठोली के लोगों ने अपने गांव में लगने वाली 20 फैक्टरियों से 75 परिवारों के बेघर होने की बात कही। यहीं पर सरिस्का क्षेत्र में खनन से दर्जनों परिवारों के स्थायी रूप से बेरोजगार होने की बात कही गई। खजूरी की नाल में लोगों ने बताया सरकार के मंत्रियों ने ठेकेदारों से मिलकर जंगल कटवाये जिससे लकड़ियाँ तो शहर में चली गईं, हम पानी के लिए तरस रहे हैं। जगदीश गुर्जर ने कहा कि यह बड़ी अजीब बात है कि जंगल तो लोग बचायें और सरकार उन्हें काटने का ठेका दे दे। असल में जंगलों को राजनेता कटवाते हैं। कोई विरोध करता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। **झंवर साहब** ने कहा कि जहाँ 1955 में घने जंगल थे, वहीं 1981 में कुछ भी नहीं बचा। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जिस जिले का कोई वन मंत्री बना, वह जिला जंगलों से साफ हो गया। ये सब बातें विद्यार्थियों के लिए नई थीं। इसलिए इन बातों को इन्होंने रुचि से सुना तथा जंगल बचाने की पेशकश की।

4 नवम्बर को पदयात्रा रामगढ़ मोड़ पहुँची। वहाँ एक सभा को ढड्ढा जी ने संबोधित किया। आपने कहा कि गांव की सामलात देह को सभी गांव वालों को मिलकर बचाना पड़ेगा। यह प्रण लेना पड़ेगा कि चाहे मर जाएं किन्तु खान से पत्थर नहीं जाने देंगे, पेड़ों को कटने से बचायेंगे।

इसके बाद हटवाड़ा, सायपुरा, चैनपुरा, हीरावाला लाली तथा नयावास होते हुए पदयात्री **जमुवारामगढ़** पहुँचे। यहाँ आयोजित सभा में अरावली के पूर्व पोषक रूप तथा आज के बीहड़ रूप पर विशद् प्रकाश डाला गया। गोवर्धन शर्मा ने कहा कि अरावली हमारा जीवन है। इससे औषधियाँ, चारा, दूध-दही, घी, कपड़ा-भोजन, पानी, आक्सीजन सब कुछ मिलता है। इसके विनाश से जीवन संकटग्रस्त हो उठा है। यहाँ जगदीश गुर्जर तथा राधेश्याम ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

जमुवारामगढ़ से रामगढ़ बांध, गढ़ जारूण्डा, नकटी घाटी होते हुए यात्रा दल आंधी ग्राम पहुँचा। यहाँ अनेक यात्री वक्ताओं ने लोगों को संबोधित किया तथा अरावली बचाओ का स्वर गुंजाया। राजेन्द्रसिंह ने कहा कि सरकार ने जापान से 177 करोड़ रुपये लिए हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि इस राशि का उपयोग अरावली को हरा-भरा करने तथा क्षेत्रीय लोगों को ही रोजगार देने में किया जाय।

आंधी ग्राम से चलकर थली तिराहे,सान कोटड़ा, वन नाका पहुँचे जहाँ एक सभा की गई जिसे ग्राम नियोजन केन्द्र गाजियाबाद के **के.के. मुखर्जी** ने संबोधित किया। यहीं पर श्री मुखर्जी ने अपना तथा अपने साथ आये परिवार-जनों का परिचय दिया तथा यात्रा के प्रति शुभकामनाएँ प्रकट कीं।

इस प्रकार 8 दिनों तक जयपुर जिले के विभिन्न गांवों, संस्थाओं, विद्यालयों में अरावली चेतना यात्रा ने लोगों से मान सम्मान प्राप्त किया तथा अहिंसक रूप से अरावली बचाओ अभियान सफल बनाने की पुरजोर अपील की।

चेतना रैली अलवर और आगे

नटाटा रसाला से प्रात:कालीन प्रार्थना के पश्चात् यात्रा दल भीकमपुरा डेरा की ओर चल पड़ा।

पदयात्रा में आकर मिलने हेतु तैयार एक महिला तथा युवाओं का दल

इस बीच यानी नटाटा रसाला से चलने के बाद अरावली-चेतना यात्रा के पदयात्रियों ने 6 नवम्बर से 13 नवम्बर तक चेतना यात्रा के आयोजक तरुण भारत संघ के मुख्य कार्यालय **भीखमपुरा** में विश्राम और प्रशिक्षण लिया। तरुण भारत संघ के संयोजक राजेन्द्रसिंह ने यात्रा दल के साथियों को अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों का अवलोकन कराया। 'अरावली बचाओ' अभियान के कारणों, उद्देश्यों और अब तक की उपलब्धियों की जानकारी दी। अलवर जिले में खनन विरोधी गतिविधियों की जानकारी दी तथा इस अभियान में राजनेताओं, असरदार लोगों, ठेकेदारों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाओं से भी अवगत कराया जिससे अन्य संस्थायें ऐसे विरोधों के प्रति पहले से ही आगाह रहें। तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन यात्री गाँव-गाँव जाते थे। सैकड़ों गाँवों का भ्रमण यात्रियों ने किया। ग्रामवासियों ने बहुत कुछ सीखा। यात्रियों को भी प्रेरणा मिली।

यहीं **गोवर्धन शर्मा** के नेतृत्व में धौलपुर से बाड़ी-बसेड़ी होते हुए एक दल आ मिला। **चमनसिंह** के नेतृत्व में सवाई माधौपुर जिले के कोचर डांग के सातुलाई गांव का दल भी यही मुख्य यात्रा दल से मिला। **सेडूराम** के नेतृत्व में दारोलाई ग्राम से चला दल भी भीकमपुरा में ही मुख्य यात्रा दल से आ मिला। **गढ़ी ममोड़** (अलवर जिला) गांव से होते हुए भी एक यात्रादल यहाँ आया जिसका नेतृत्व **रामकरण गुर्जर** कर रहे थे। **खंडार** तहसील के एक गांव से चला दल भी यहीं मुख्य यात्रा दल से मिला। इसके अलावा **अशोक बाफना** के साथियों का दल भी यहीं मुख्य यात्रा दल से मिल गया।

अब इस यात्रा दल में गुजरात, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर,राजसमन्द, पाली, अजमेर, झुंझुनूं, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, हरियाणा के 6 स्थानों से यात्रादल चेतना रैली में मिला जिनका नेतृत्व क्रमश: **सुन्दरलाल, श्री निरंजन, मातूसिंह, रामअवतार शर्मा, सुनील कौशिक** तथा **महावीर प्रसाद** कर रहे थे। राजस्थान के 8 विभिन्न स्थानों से यात्रा दल क्रमश: छोटेलाल तंवर, रामकरण गुर्जर, जगमाल सिंह, देवीलाल, अशोक बाफना, सिकन्दर भाई, सरदार सिंह ढाबरिया तथा रूपसिंह के नेतृत्व में चला था।

मुख्य पदयात्रा दल के इन्तजार में बैठे ग्रामवासी

भीकमपुरा में कुछ आराम और प्रशिक्षण प्राप्त कर 'अरावली चेतना दल' आगे की ओर बढ़ा। 15-11-93 को प्रात: 5 बजे दल की रवानगी हुई। रास्ते में भर्तृहरि के स्थान पर रात्रि पड़ाव हुआ। अगले दिन प्रात: **इन्दोक, कुशालगढ़, माधोगढ़** के लोग भी यात्रा दल से जुड़ते गए। **अकबरपुर धवाला** होते हुए **उमरेण** और 2 बजे अपराह्न अलवर पहुँच गये। अलवर में एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें लगभग 750 लोगों ने भाग लिया। यहाँ से यात्रा दल वक्तल की चौकी और बगड़ का तिराहा होते हुए रामगढ़ पहुंचा।

17 नवम्बर को यात्रादल **नौगांवां** पहुंचा। यह गांव अलवर (राज.) की सीमा का अन्तिम गांव है जिसके आगे हरियाणा राज्य की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। नौगांवां से यात्री **झिरका फिरोजपुर** पहुँचे। यहां **खुशीराम लोकसेवक** की अगुवाई में यहाँ के अरावली परियोजना, वन विभाग के एस.डी.ओ. तथा अन्य सम्भ्रान्त लोगों ने यात्रा दल का स्वागत किया। पूरे कस्बे में एक रैली निकाली गई। यहाँ रात को आयोजित सभा में वन विभाग के **सुशील कुमार वासन** ने जानकारी दी कि अरावली को पुन: हरा-भरा करने हेतु हरियाणा को यूरोप से तथा राजस्थान को जापान से कुल 359 करोड़ रुपये मिले हैं।

अगले दिन 18 नवम्बर को यात्रा दल झिरका फिरोजपुर से चलकर नसीराबास, मोहम्मदबास, मंडीखेड़ा, बडमली चौक, भादास, सिकन्दराबाद- मालब से होते हुए शाम को **नूंह** पहुँचा जहाँ एक विशाल रैली निकाली गई। यहीं एक धर्मशाला में दल ने विश्राम किया तथा 5-5 पदयात्रियों की टोलियां बनाई गईं।

19 नवम्बर को यात्रा दल **नूंह** से चलकर **सोना** पहुँचा। वहाँ दल के साथियों ने प्राकृतिक गरम जल के झरने में स्नान कर सर्दी और थकान मिटाई। यहाँ रात्रि को एक सभा का आयोजन किया गया जिसे सोना के लोकसेवक **भाई खुशीराम**,तरुण आश्रम के **राजेन्द्रसिंह** तथा वहाँ के अन्य कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। 20 नवम्बर को यात्रा दल रास्ते में पड़ने वाले गांवों में छोटी-छोटी सभायें करते तथा लोगों को प्रकृति से मानव जीवन का सन्तुलन बनाये रखने का संदेश देते हुए मध्याह्न 2 बजे **गुड़गांव** पहुँचे। यहाँ मुख्य बाजारों से होते हुए एक रैली निकाली गई तथा आम चौराहे पर सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हिम्मतनगर (गुजरात) से लेकर राजस्थान के जिलों में लोक सम्पर्क के अनुभवों तथा लोगों के 'अरावली बचाओ अभियान' के प्रति उत्कट लगाव की चर्चा की गई।

यात्रा दल 21 नवम्बर को गुड़गांव से चलकर मध्याह्न **धोला कुवां** पहुंच गया। यहीं दिल्ली के **श्री एन. कृष्णा स्वामी, अनुपम मिश्र, राजीव बोरा, बाबूलाल शर्मा, सुन्दरलाल बहुगुणा** आदि ने पदयात्रियों का स्वागत किया। वहां से सभी गांधी की समाधि दर्शन के लिए चल पड़े। दिल्ली प्रशासन ने पदयात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। हर चौराहे पर पुलिस ने पहले पदयात्रियों को निकल जाने के लिए ट्राफिक को रोक कर सहयोग दिया। उत्साही पदयात्री 'अरावली बचाओ' के गीत और नारे गुंजाते हुए 3 बजे के लगभग गांधी दर्शन हेतु **शहीद स्थल** पर पहुँच गये। वहीं शाम 4 बजे एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें यात्रियों ने पहले अपना परिचय दिया तथा बाद में यात्रा के अनुभव सुनाये। यहाँ अरावली वाहिनी के गठन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभा रात को लगभग 10 बजे तक चलती रही। तय रहा कि कल 22 नवम्बर को जन्तर-मन्तर पर इस अभियान की आखिरी सभा की जायेगी। ❐

4
अध्याय

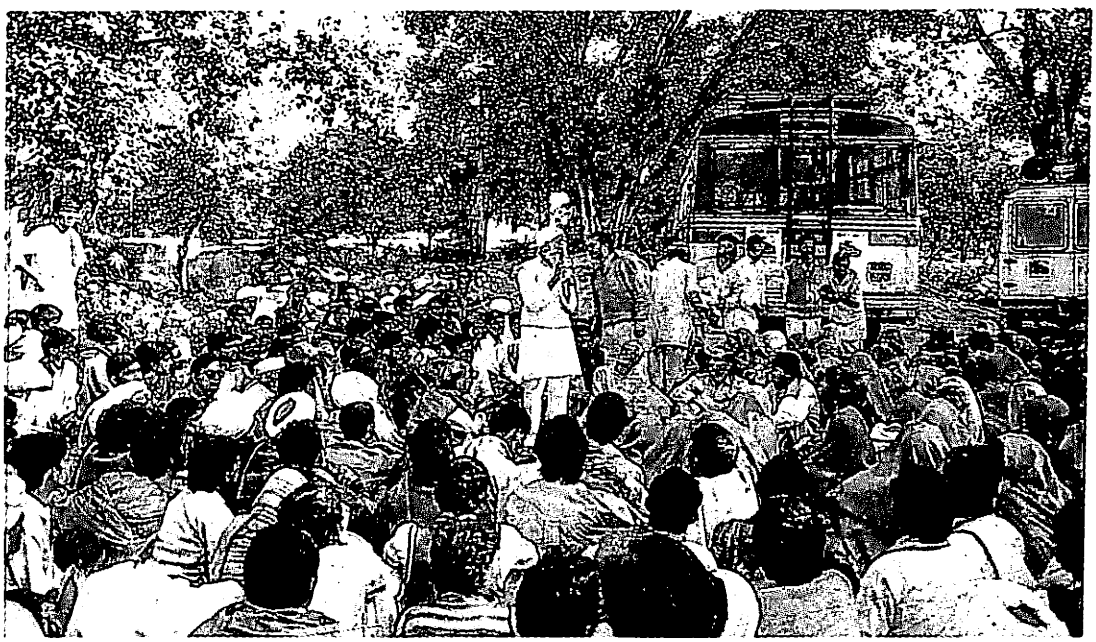

जेहाद की चेतावनी

22 नवम्बर 1993 का दिन-दिल्ली स्थित जन्तर-मन्तर का विशाल हरा-भरा मैदान- 52 दिनों की अरावली के ऊबड़-खाबड़ वीरान तथा रास्ते में पड़ने वाले गाांवों के तंग रास्ते- कुछ कस्बों-शहरों की गुलजार सड़कें- लगभग 1100 किलोमीटर की महत्वाकांक्षी यात्रा का अन्तिम पड़ाव – गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं का जोशभरा समूह, सामाजिक कार्यकर्ताओं,अधिकारियों, राजनेताओं की उत्साह भरी उपस्थिति-अपराह्न की वेला।

यह था माहौल अरावली-चेतना-यात्रा के अन्तिम समारोह का, जहां से अरावली बचाओ अभियान का सन्देश सभी संबंधित जनों तक पहुंचाना था– जहां से अरावली बचाओ का दृढ़ संकल्प लेकर पर्यावरण बचाने, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में संतुलन बनाये रखने में लगे लोगों को अरावली को पुन: हरा-भरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने-अपने कार्यक्षेत्रों को लौटना था।

सर्वप्रथम तरुण भारत संघ के मंत्री तथा 'अरावली चेतना यात्रा' के आयोजक **राजेन्द्रसिंह** ने इस विषम, लम्बी यात्रा के अनुभवों,यात्रा के दौरान आम जनता, अधिकारियों, राजनेताओं से हुई भेंटवार्ता से उपस्थितों को अवगत कराया– अवगत कराया कि कैसे-कैसे सुनियोजित ढंग से कानून की धज्जियां उड़ाते, अधिकारियों और धन-पिपासुओं की मिलीभगत से अरावली को नंगा करने, उसके निवासी आदिवासियों को उत्पीड़ित कर, उन्हें घरों से प्रलोभन देकर बेघर किया जा रहा है, कैसे पर्यावरण को बिगाड़ा जा रहा है जिससे पारिस्थितिकी संतुलन डगमगा गया है, रेगिस्तान अरावली क्षेत्र को लीलने को जीभ लपलपा रहा है और अपने निवासियों का सदियों से भरण-पोषण करने वाला यह पर्वत आज असहाय सा अपने वाशिन्दों की दुर्दशा देख रहा है- अपनी बहू-बेटियों की लुटती अस्मत का मूक, विवश दर्शक बना हुआ है।

रैली में उपयोग हुई सामग्री

राजेन्द्रसिंह ने अरावली के लुटेरों का कच्चा चिट्ठा खोलकर सबके कान खड़े कर दिये। आजादी के बाद हुए अरावली के सर्वनाश के लिए उत्तरदायी कानूनों की बखिया उधेड़ी- सामलात देह की बर्बादी और उसके कारण पशुधन की संभावित समाप्ति, वर्षा की निरन्तर कमी से होने वाले कुप्रभावों- बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के छद्म आक्रमण से यहाँ की करोड़ों की सम्पत्ति के विनाश के भयावने चित्र रखे। आपने बताया कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विकास के नाम से 50 करोड़ डालर देकर 200 करोड़ डॉलर के प्राकृतिक संसाधनों के विनाश तथा प्रशिक्षित डाक्टरों, इंजीनियरों के बौद्धिक शोषण का मायाजाल रच डाला है। सुनने वाले स्तब्ध थे!

उपस्थितों में थे **सुन्दरलालजी बहुगुणा** जी जिन्होंने 'चिपको आन्दोलन' को जीवन्त किया है, पर्यावरण की सुरक्षा को जीवन समर्पित कर दिया है। आपने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में कहा- हम आज कुदरत से कसाई बन गये हैं। पहाड़ों की चमड़ी और हृदय चीर कर पक्के मकानों और सड़कों का निर्माण हो रहा है। वृक्ष अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। जीवनदाता आक्सीजन बैंक का दिवाला निकल रहा है। अरावली चेतना यात्रा के बारे में आपने कहा- **यह यात्रा नहीं तपस्या है।**

पर्यावरणविद् **शुभू पटवा** का कहना था- राजस्थान सरकार कहती है कि खानें बन्द हो जाने से लोग बेरोजगार हो जायेंगे, लेकिन सरकार यह कभी नहीं कहती कि अरावली को पुन: हरा-भरा करने में क्या कुछ कर सकती है।

श्री इन्द्रमोहन का कहना था कि सरकार के झूठे, लुभावने वक्तव्यों और आंकड़ों से अरावली की सुरक्षा संभव नहीं। अरावली के विनाश को रोकने के लिए हम सभी को आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी।

अरुण कुमारजी का कहना था कि हमारी यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आज की नकली पंचायत अपनी सत्ता असली पंचायत को नहीं सौंप देती, जो गांव वालों के लिए ही होगी, गांव वालों के लिए ही गांव वालों द्वारा चलाई जायेगी और जिसमें जंगल, जमीन और जल पर स्वामित्व पूर्णत: गांव वालों का ही रह जायेगा।

श्री एस.एस. ढाबरिया का उद्‌बोधन था कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक की यात्रा के दौरान हमने पाया कि इस क्षेत्र की कई प्रजातियां समाप्त हो गई हैं, कुछ समाप्ति की कगार पर हैं। आज अरावली के आदिवासियों, इस क्षेत्र के अन्य लोगों पर यह गुरुतर दायित्व आ गया है कि वे अरावली को बचाने का कार्य करें। हमें सन्तोष है कि यात्रा के दौरान हमें यह आश्वासन मिला कि इस महान यज्ञ में सब अपनी-अपनी आहुति देने को उतावले हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता **स्वामी अग्निवेश** का उद्‌बोधन था : हमारी संस्कृति में वनों को तपोवन कहा गया है। इस संस्कृति का सत्यानाश आज विकास के नाम पर हो रहे फूहड़पन ने खुलेआम करना शुरू कर दिया गया है। खान वालों के कालेधन से राजनेताओं की तोंद फैलती जा रही है। कानून का उल्लंघन सरेआम हो रहा है। बाड़ ही खेत को खाने लगी है। लेकिन यह न भूलना चाहिए कि गरीब की आह किसी दिन स्वर्णभंडारों को ढहा देगी।

पदयात्रा की अंतिम सभा को संबोधित करते हुए स्वामी अग्निवेश एवं सुन्दरलाल बहुगुणा

श्री कन्हैयालाल ने कहा कि यदि गांव जग जाय तो अरावली का विनाश रुक सकता है,वहीं **शांतिलाल जी भंडारी** ने कहा कि अब हमारे कदम बढ़ गये हैं, लक्ष्य प्राप्ति के पहले रुक नहीं सकते।

राजीव वोरा ने साफ कहा कि हमें लोकसभा से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गत 50 वर्षों में इस लोकसभा के रहते ही अरावली का नग्नीकरण शुरू हुआ और यह निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हमें तो लोकसभा नहीं, बल्कि लोकशक्ति में अटूट विश्वास रखकर लोकशक्ति में ही अटूट विश्वास भरना होगा। तभी अरावली बचाओ अभियान पूरा हो सकता है।

समापन समारोह के अध्यक्ष प्रसिद्ध गांधीवादी **श्री सिद्धराज जी ढड्ढा** ने कहा कि संगठन की शुरूआत गांव से करनी पड़ेगी। गांव-गांव से संगठन जुड़ेगा तो चेतना बलवती होगी, कार्यशीलता बढ़ेगी और लक्ष्य अपने आप निकटतर आता जायेगा। आपने सरिस्का क्षेत्र के बारे में दु:ख के साथ कहा कि राज्य सरकार ने समय-समय पर इस क्षेत्र को सुरक्षित वन, वन्य प्राणी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। साथ ही इस क्षेत्र के पर्यावरण, वनस्पति, पशु-पक्षी तथा अन्य प्राणियों की रक्षा और सुरक्षा के आदेश भी जारी किये हैं,पर आश्चर्य की बात है कि इसी क्षेत्र में राज्य सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों से खानों के ठेके देने शुरू कर दिये हैं। आपने कहा कि जंगल, जल, जमीन पर किसी अन्य का अधिकार नहीं हो सकता, सरकार का भी नहीं। इन पर तो उस क्षेत्र के रहने वालों का ही प्राकृतिक अधिकार है। अरावली-समस्या आज पूरे देश की समस्या है।

इसके पूर्व तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष **श्री शिवराज पाटिल** को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि अरावली के क्षत-विक्षत होने से मानसून की अवधि 120 दिनों से घटकर 30-40 दिन रह गई है, परिणामत: वर्षा में भी निरन्तर गिरावट आ रही है, भू-गर्भ-जल के स्रोत सूख रहे हैं। जहां पहले 20-25 फुट की गहराई पर जल मिल जाता था, वहीं अब भू-गर्भ जल का स्तर 100 फुट गहरा चला गया है, रेगिस्तान अरावली क्षेत्र के 12 गैपों से 160 वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता आ रहा है। इसका विपरीत प्रभाव हरियाली, चारा-अन्न उत्पादन पर पड़ रहा है, अवैध खदानों और वृक्षों की कटाई से कई पशु प्रजातियां व मानव जातियां विलुप्ति की कगार पर हैं– कथोड़िया तो एक तरह इस क्षेत्र को खाली ही कर चुके हैं। सामाजिक झगड़े नित नये रूप में पैदा हो रहे हैं।

इन आधारों पर ज्ञापन में मांग की गई :

1. भारतीय पर्यावरण नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में (जिसमें अरावली क्षेत्र सम्मिलित है) 66 प्रतिशत भूमि पर वन तथा अन्य भूमि पर 33 प्रतिशत वन पेड़-पौधे होने चाहिए। आज अरावली क्षेत्र में मात्र 6 प्रतिशत भूमि पर वन शेष रह गये हैं। अत: इन वनों से वृक्षों की कटाई अविलम्ब बन्द की जाय तथा वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा किया जाय।

2. वन-विभाग तथा गैर-सरकारी संगठन मिलकर एक ऐसी संस्था बनायें जो हरियाली की समस्या का मूल्यांकन करे।

3. वृक्षारोपण-कार्यक्रम गांवाई तथा सामुदायिक स्तर पर चलाये जाएं तथा पर्याप्त संसाधन उन्हें उपलब्ध कराये जाएं।

4. अरावली-क्षेत्र के निवासियों को भरोसा दिलाया जाय कि इन वनों पर उनका ही अधिकार रहेगा, जंगल की उपज वे ही काटेंगे। उनको उनके स्थानों से खदेड़ा नहीं जायेगा। उनको उनके गांवों में ही विकास के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वनों पर ही नहीं, वनों की भूमि पर भी उनका ही स्वामित्व रहेगा।

5. अलवर व गुड़गांव जिले की तरह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सम्पूर्ण अरावली क्षेत्र में लागू किया जाय। खतरनाक औद्योगिक इकाइयों को अविलम्ब बन्द किया जाय।

6. खनन से हुई क्षति की पूर्ति संबंधित लोगों को की जाय।

7. खदान-मालिकों को निर्देशित किया जाय कि वे अरावली को पुनः हरा-भरा करें।

8. भूसंरक्षण तथा बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के कार्य में स्थानीय लोगों को काम दिया जाय।

अन्त में **राजेन्द्रसिंह** ने यह स्पष्ट करते हुए कि राजस्थान सरकार द्वारा खदान-मालिकों की मिलीभगत से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के कारण, लोगों को उनके अधिकार जताने के उद्देश्य से यह चेतना-यात्रा करनी पड़ी, गैर-सरकारी संगठनों की ओर से लिए गये निर्णयों को बताया :

1. 15-15 लोगों का एक दल गांव-गांव जायेगा और यात्रा से उत्पन्न चिन्ताओं से ग्रामीणों को अवगत करायेगा।

2. प्रारम्भिक पंचायत प्रथा को पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा, जिसने पर्यावरण और सामाजिक जरूरतों का संतुलन बनाये रखा था।

3. अरावली को उजाड़ बनाने के बाद भी अभी गरीब लोग इतने समर्थ हैं कि यदि उनको पहले जैसे अधिकार दे दिये जाएं तो वे अरावली को स्वयं हरा-भरा कर सकते हैं और अपनी सम्पदा की रक्षा भी कर सकते हैं।

4. यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेशों की अनुपालना करने में असफल भी रहा तो हम लोग पर्यावरण को खतरनाक बनाने वाली खनन-प्रक्रिया के विरुद्ध अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता।

5. अरावली को बचाने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं।

तत्पश्चात् अरावली बचाओ के गगन भेदी नारों के साथ अरावली चेतना यात्रा का समापन समारोह विराम पर आया। सबमें अरावली बचाने के प्रति आक्रोश था, उत्साह था और थी जेहाद की प्रबल भावना। ❐

जय अरावली

प्रकृति के सहअस्तित्व से बदलता जीवन दर्शन

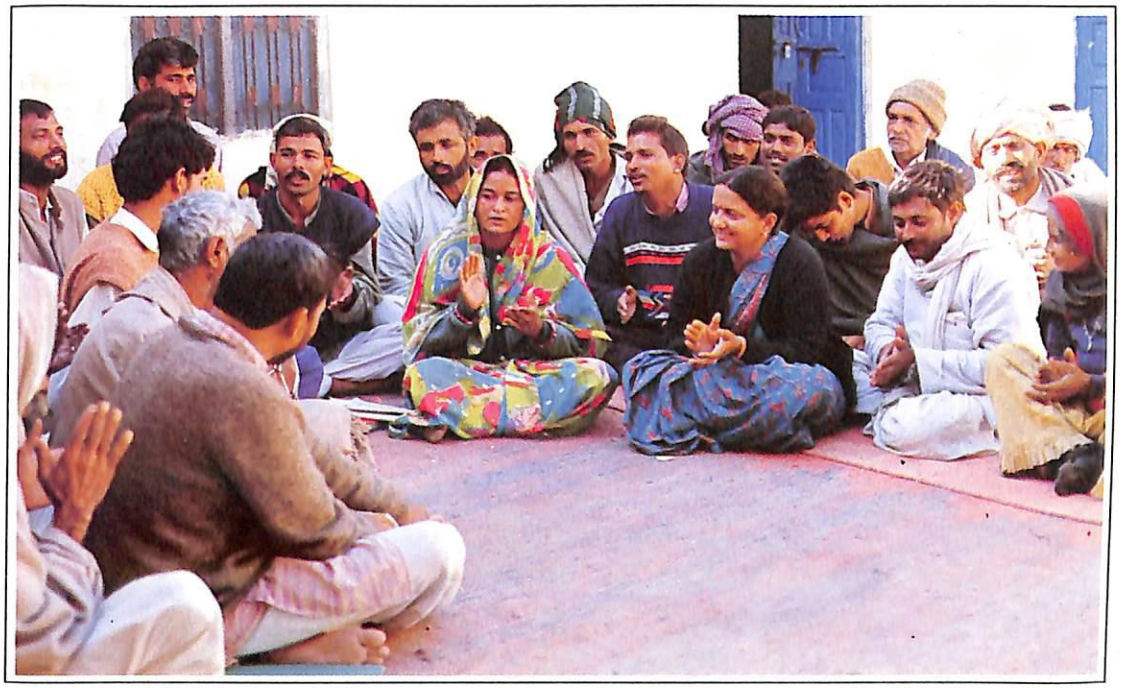

MRF TYRES
हम संतान।
रक्षा करेंगे, देकर जान।।
जीवन पाओ
पदयात्रा
21-11-93 दिल्ली